राज्य बजट 2018-19

एक विश्लेषण

राजस्थान बजट अध्ययन केन्द्र
(आस्था की एक इकाई)

ईमेल: info@barcjaipur.org
वेबसाइट: www.barcjaipur.org

बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर ट्रस्ट

ईमेल: barctrust@gmail.com
वेबसाइट: www.barctrust.org

अनुक्रम

अनुक्रम

राज्य बजट 2018–19 : एक विश्लेषण	1
राज्य में कृषि एवं सिंचाई हेतु आवंटन एवं खर्च	2
राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति	6
राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई की स्थिति	11
राजस्थान में शिक्षा एवं बजट	15
राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य हेतु बजट	22
राज्य में महिलाओं के लिये बजट तथा जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण	30
राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट	35
राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना	38
राज्य में पेंशन योजनाओं हेतु बजट में मामूली बढ़ोतरी	45

राज्य बजट 2018-19 : एक विश्लेषण

चुनावी वर्ष के इस बजट में सरकार ने भविष्य में होने वाली भर्तीयों और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। किसानों के ऋण माफी को एक बड़ी घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया गया लेकिन यह ऋण केवल सहकारी बैंक से लिये 50 रूपये तक का ऋण पर लागू है। इसमें किसान शामिल नहीं हैं जिन्होंने अन्य बैंकों से ऋण लिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार देशभर में केवल 20 प्रतिशत किसान सहकारी बैंकों से ऋण लेते हैं। उनके लिये बस कृषक ऋण राहत आयोग की घोषणा हुई है। इसी तरह एक बड़ी घोषणा 52 हजार करोड़ रूपये के जल परियोजनाओं की गई है। लेकिन बजट भाषण में यह भी कहा गया कि इनके लिये वित्तीय संसाधन राज्य सरकार के अलावा भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुटाया जायेगा।

समाजिक क्षेत्र में महिला मानदेय कर्मियों के मानदेय में मामुली वृद्धि हुई है। साथ ही उनके लिये बीमा योजना का प्रीमियम पूरी तरह सरकार देगी। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विकलांगजनों, वृद्धों और एकल महिलाओं के पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 28 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों क्रमोन्नत करने की घोषणा हुई है। मध्यान्ह भोजन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सप्ताह में तीन दिन दुग्ध देने की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 1163 आदर्श विद्यालयों की घोषणा तथा 77 हजार शिक्षकों एवं अन्य शिक्षाकर्मीयों की भर्ती की घोषणा की गई है।

बजट में 24 सरकारी औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला विंग खोलने की घोषणा को महिला सशक्तिकरण कहा गया है। लेकिन महिलाएं पुरूष छात्रों के साथ अध्ययन क्यों नहीं कर सकतीं यह नहीं बताया गया है। साथ ही महिला कर्मचारियों के लिये बच्चों के देखभाल के लिये 2 वर्ष की छुट्टी का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है। लेकिन सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों की भी चिंता करनी चाहिये जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले 6000 रूपये के मातृत्व लाभ को केन्द्र सरकार ने अब जाकर लागू किया है और उसे भी घटाकर 5000 रूपये कर दिया है और उसे भी 1 बच्चे तक सीमित कर दिया है। इस बजट में सरकार ने आर्थिक रूप पिछड़े वर्गो के लिये भी घोषणाएं की है लेकिन सबसे अधिक घोषणाएं हुई हैं विभिन्न प्रकार के स्टाम्प दरों में कटौती की।

राज्य की वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस वर्ष पुनः राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति रहेगी जबकि राज कोषीय घाटे को 3 प्रतिशत के अन्दर रखने का लक्ष्य रखा गया है। वस्तु एवं सेवाकर के बाद राज्य में स्वकरों में को इस खास बदलाव नहीं आया है पहले जहां मुल्य परिवद्धित (वैट) कर से 2016–17 में 28558 करोड़ रूपये आये थे वहीं 2017–18 में 31200 करोड़ वैट तथा राज्य जीएसटीसी मिलाकर आने का (संशोधित) अनुमान है तथा वर्ष 2018–19 में इन दो मदों से 36600 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है जिसमें जीएसटीसी के 21000 करोड़ रूपये में शामिल हैं। हलांकि इस वर्ष बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं सिंचाई क्षेत्रों के बजट में अच्छी बढ़ोतरी हुई है जो कि सकारात्मक कदम है लेकिन वहीं ग्रामीण विकास के बजट में कटौती की गई है। लेकिन जिन क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ा है उनमें भी अकसर वास्तविक खर्च आवंटन से कम ही रहता है। कुल मिला कर इस सरकार का अन्तिम बजट बहुत उत्साहित करने वाला बजट नहीं है। यह बजट चुनावी वर्ष में जरूर आया है लेकिन इसका लक्ष्य आमतौर पर व्यापार एवं उद्योग ही लगते हैं। करों का सरलीकरण, व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं निधी की घोषणा, उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर उद्योग और व्यापार जगत को खुश कर सकते हैं। आशा है इनसे लंबे समय से स्थिर रोजगार में वृद्धि होगी। परन्तु शिक्षा में 77 हजार सहित कुल 1 लाख 8 हजार भर्तीयां, 52 हजार करोड़ की जल परियोजनाओं के लिये वित्त का जुगाड आदि घोषणाएं या सरकार बचे हुए आठ महिनों में कर पायेगी।

राजस्थान बजट अध्ययन केन्द्र
(आस्था की एक इकाई)

बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर ट्रस्ट

राज्य में कृषि एवं सिंचाई हेतु आवंटन एवं खर्च

राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थितिः राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 7वाँ बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। राज्य का 8.00 प्रतिशत क्षेत्रफल वानिकी के अन्तर्गत, 5.66 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि के अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत, 7.01 प्रतिशत क्षेत्रफल ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत, 4.88 प्रतिशत क्षेत्रफल स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.08 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 11.78 प्रतिशत क्षेत्रफल बंजर भूमि के अन्तर्गत, 6.04 प्रतिशत क्षेत्रफल अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, 5.42 प्रतिशत क्षेत्रफल चालू पड़त के अन्तर्गत एवं 51.13 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अन्तर्गत है।

इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंध गतिविधियों से जुड़े हैं। कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार कुल क्रियाशील भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल जोतों में सीमान्त 40.12 प्रतिशत, लघु 21.90 प्रतिशत, अर्द्ध मध्यम 18.50 प्रतिशत, मध्यम 14.79 प्रतिशत, बडे आकार की तथा वर्गीकृत 4.69 प्रतिशत हैं। वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 में सीमांत, लघु, अर्द्ध मध्यम एवं मध्यम आकार की जोतों की संख्या में कमी हुई है। राज्य में वर्ष 2010–11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में घटकर 208.73 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1. 24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

(स्रोतः आार्थिक समीक्षा 2017–18)

राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जबकि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है। राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक सिंचाई, कुओं एवं नलकूप पर निर्भर है। अन्य स्रोतों की कमी के कारण कुओं एवं नलकूप द्वारा भूमिगत जल का तेजी विदोहन हो रहा है एवं भूमिगत जलस्तर निरंतर गिर रहा है।

तालिका 1: राज्य के कुल बजट के अनुपात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट
(रू करोड़ में)

वर्ष	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत
2014–15 (वास्तविक)	4537.8	3.89	2989.89	2.52
2015–16 (संशोधित)	5129.85	2.83	3246.55	1.79
2015–16 (वास्तविक)	4437.41	3.42	3120.36	2.41
2016–17 (अनुमान)	6515.93	3.85	4131.22	2.40
2016–17 (संशोधित)	6041.20	4.07	4080.46	2.75
2016–17 (वास्तविक)	5602.05	4.01	3901.26	2.79

2017–18 (अनुमान)	6159.06	3.69	4625.75	2.77
2017–18 (संशोधित)	6170.02	3.51	4398.65	2.50
2018–19 (अनुमान)	8828.01	4.47	5374.49	2.72

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान सरकार

(नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।)

उपरोक्त तालिका में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण के बजट को राज्य के कुल बजट के अनुपात में दर्शाया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने कुल व्यय की 4.47 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबंद्ध सेवाओं में तथा 2.72 प्रतिशत राशि सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण व्यय करना अनुमानित किया है। इस वर्ष में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के बजट का राज्य बजट की तुलना में प्रतिशत पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में लगभग 0.96 प्रतिशत बढ़ा है जबकि सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट गत वर्ष के संशोधित अनुमान से 0.22 प्रतिशत अधिक है। अगर गत दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि 2016–17 के बजट अनुमान में राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का 3.85 प्रतिशत कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित किया जो कि 2015–16 के वास्तविक खर्च से 0.43 प्रतिशत अधिक है। जबकि सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण संबंद्धित सेवाओं पर 2016–17 में राज्य के कुल बजट का 2.40 प्रतिशत आवंटित हुआ, जो कि 2015–16 के वास्तविक खर्च के लगभग बराबर ही है। ऐसी स्थिती में जब कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है राज्य सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

तालिका 2: राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले वर्षों में बजट आवंटन (रू करोड़ में)

व्यय मद	**2016–17 अनुमान**	**2016–17 संशोधित**	**2015–16 (वास्तविक)**	**2017–18 अनुमान**	**2017–18 संशोधित**	**2018–19 अनुमान**
राजस्व व्यय						
फसल कृषि कर्म	3282.03	2968.43	2655.89	3085.13	2853.04	3030.78
मृदा तथा जल संरक्षण	54.72	67.05	64.61	58.19	70.16	51.91
पशुपालन	721.52	787.15	776.64	894.35	1038.15	1288.16
डेरी विकास	8.7	0.00	0.00	11.33	5.38	4.01
मछली पालन	14.45	13.27	12.39	14.03	13.14	19.36
वानिकी तथा वन्य जीवन	876.69	830.91	794.06	764.00	804.51	859.45
खाद्य भंडारण तथा भंडागार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	227.58	220.36	218.67	228.06	238.48	266.90
सहकारिता	634.1	651.56	608.65	628.20	688.36	2694.20
अन्य कृषि कार्यक्रम	9.39	9.35	9.06	10.15	10.37	11.67
राजस्व व्यय योग	**5829.21**	**5548.08**	**5139.97**	**5693.47**	**5721.58**	**8226.43**
पूजीगत व्यय						
फसल कृषि कर्म	534.51	264.00	254.12	279.55	222.08	410.46
मृदा तथा जल संरक्षण	0.2	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00
पशुपालन	7.75	6.04	4.51	32.66	29.82	25.60

डेरी विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मछली पालन	1.37	1.36	1.03	0.80	3.30	1.03
वानिकी तथा वन्य जीवन	114.28	193.02	173.74	135.58	176.29	155.12
खाद्य भंडारण तथा भंडागार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सहकारिता	0.00	28.45	28.45	16.99	16.94	9.37
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजीगत व्ययोग	**686.72**	**493.12**	**462.09**	**465.59**	**448.43**	**601.58**
महायोग	**6515.93**	**6041.20**	**5602.05**	**6159.07**	**6170.02**	**8828.01**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग– राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 2668 करोड़ रू की बढ़ोतरी तथा संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 2657 करोड़ की वृद्धि हुई है। यदि देखा जाये तो यह बढ़ोतरी राजस्व मद में 2532 करोड़ एवं पूंजीगत मद में 153 करोड़ देखी जा सकती है बढ़ोतरी संभवतः राज्य में सातवें वेतन आयोग को लागू करने के परिणामस्वरुप शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से हुई है।

इसके साथ ही पशुपालन, जो कि ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है के लिये इस वर्ष कुल 1313 करोड़ रू. प्रस्तावित किये गये हैं जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 386 करोड़ तथा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 245 करोड़ रू. अधिक है।

तालिका 3: राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले तीन का बजट (रू करोड़ में)

व्यय मद	**2016–17 अनुमान**	**2016–17 संशोधित**	**2016–17 (वास्तविक)**	**2017–18 अनुमान**	**2017–18 संशोधित**	**2018–19 अनुमान**
राजस्व व्यय						
मुख्य सिंचाई	1435.08	1547.76	1493.02	1591.9	1640.37	1787.51
मध्यम सिंचाई	302.85	298.16	297.53	321.96	325.46	367.56
लघु सिंचाई	204.11	185.38	132.68	157.25	155.70	155.44
कमान क्षेत्र विकास	21.19	19.71	18.57	20.49	19.84	22.99
योग राजस्व व्यय	**1963.23**	**2051.02**	**1941.81**	**2091.59**	**2141.37**	**2333.50**
पूंजीगत व्यय						
मुख्य सिंचाई	1469.86	1236.72	1195.28	1720.66	1453.31	2371.03
मध्यम सिंचाई	80.4	109.55	109.89	204.9	155.27	177.39
लघु सिंचाई	458.2	510.04	505.64	387.56	416.79	380.60
बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	30	25.00	124.43	40.00	161.92	109.27
कमान क्षेत्र विकास	129.38	148.12	24.21	181.03	70.00	2.70
योग पूंजीगत व्यय	**2167.99**	2029.44	**1959.45**	2534.16	**2257.28**	**3040.99**
महायोग	**4131.22**	**4080.46**	**3901.26**	**4625.75**	**4398.65**	**5374.49**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान सरकार

2018–19 में सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण के लिये आवंटित बजट में गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 975 करोड़ रू की वृद्धि हुयी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय मद में मुख्य सिंचाई के अंतर्गत हुयी है। लेकिन अगर पिछले दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि बजट अनुमान में आवंटित राशि को कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र की तरह संशोधित बजट तथा लेखे में घटाया जाता रहा है।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति

राज्य में ग्रामीण विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याण एवं विकास की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास राज्य बजट में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार सालाना बजट आवंटित करती है। इस वर्ष सरकार द्वारा अपने सालाना बजट में ग्रामीण विकास के लिये कुल 16,009.64 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्राम रोजगार, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मद के अंतर्गत राशि आवंटन को शामिल किया गया है।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन (राशि करोड़ में)

क.सं.	वर्ष	राज्य बजट	ग्रामीण विकास	प्रतिशत
1	वास्तविक (2012–13)	81263.91	5468.64	6.73
2	वास्तविक (2013–14)	94101.08	5785.87	6.15
3	वास्तविक (2014–15)	116605.48	11093.02	9.51
4	वास्तविक (2015–16)	129736.02	12971.37	10.00
5	वास्तविक (2016–17)	139727.68	12004.86	8.58
6	अनुमानित (2017–18)	166753.90	14322.63	8.59
7	संशोधित (2017–18)	175615.12	18826.31	10.72
8	अनुमानित (2018–19)	197274.66	16009.64	8.12

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

नोट -कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

- वर्तमान वर्ष 2018–19 में ग्रामीण विकास हेतु राज्य के कुल बजट का 8.12 प्रतिशत लगभग 16009.43 करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है।
- वर्ष 2018–19 में ग्रामीण विकास हेतु पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट की तुलना में लगभग 1687.01 करोड़ रूपये अधिक तथा 2017–18 संशोधित बजट की तुलना में लगभग 2816.67 करोड़ रूपये कम राशि का आवंटन किया गया है।
- पिछले 5 वर्षों से वर्तमान वर्ष 2018–19 तक ग्रामीण विकास हेतु राज्य बजट की तुलना में लगभग 6 से 11 प्रतिशत राशि है।
- वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास के बजट में एकाएक वृद्धि होने का कारण अधिक आवंटन नहीं बल्कि केन्द्रीय सहायता की राशि का राज्य के आयोजना बजट में सम्मिलित होना है। जैसे– महानरेगा, इंदिरा आवास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- पिछले वर्ष 2017–18 का संशोधित बजट इसी वर्ष के अुनमानित बजट तथा वर्तमान वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट की तुलना में अत्यधिक आवंटन दर्शाता है, जिसका एक मुख्य कारण वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में एकाएक बढ़ोत्तरी है।
- केन्द्र सरकार ने महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिये 01 अप्रेल 2016 से एक नई पद्धति National Electronic Fund Management System (NeFMS) लागू की है। जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष 01 अप्रेल 2016 से महानरेगा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सीधे केन्द्र

से श्रमिकों के खातों में किया जा रहा है जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। यह ज्ञात रहे कि इस लेख में महानरेगा के बजट का विश्लेषण केवल सामग्री बजट की जानकारी पर ही आधारित है।

राज्य बजट 2014–15 से ग्रामीण विकास हेतु राशि आवंटन (राशि करोड़ में)

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना	ग्रामीण विकास का कुल बजट	केन्दीय सहायता
अनुमानित (2014–15)	2065.94	12151.71	14217.64	2049.03
संशोधित (2014–15)	2150.84	10466.98	12617.83	5561.93
वास्तविक (2014–15)	1772.50	9350.57	11123.06	–
अनुमानित (2015–16)	2166.32	11131.98	13298.30	5825.91
संशोधित (2015–16)	2086.85	12276.39	14363.24	6130.02
वास्तविक (2015–16)	2078.43	10892.94	12971.37	–
अनुमानित (2016–17)	3031.09	12093.25	15124.34	5907.30
संशोधित (2016–17)	3203.36	10439.38	13642.74	4137.23
वास्तविक (2016–17)	3201.11	8803.75	12004.86	–

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	ग्रामीण विकास का कुल बजट
अनुमानित (2017–18)	9632.21	4690.41	14322.63
संशोधित (2017–18)	11792.73	7033.58	18826.31
अनुमानित (2018–19)	8044.35	7965.29	16009.64
प्रतिशत	**50.25**	**49.75**	**100**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

नोट – पिछले वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार ने बजट पुस्तिकाओं में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद का अलग अलग विवरण देना बंद कर दिया है। इसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा कुल आवंटन में राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

- इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु कुल अनुमानित बजट में से 50.25 प्रतिशत लगभग 8044.35 करोड़ राज्य सरकार द्वारा तथा 49.75 प्रतिशत लगभग 7965.29 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- वर्तमान वर्ष में केन्द्रीय सहायता अंतर्गत पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमान की तुलना में 3004.88 करोड़ रूपये तथा संशोधित की तुलना में 931.74 करोड़ रूपये अधिक राशि का आवंटन किया गया है।
- वर्तमान वर्ष में राज्य निधि अंतर्गत पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमान की तुलना में 1591.86 करोड़ रूपये तथा संशोधित बजट की तुलना में 3748.38 करोड़ रूपये कम राशि का आवंटन किया गया है।

पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन (राशि करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2016–17 वास्तविक	2017–18 अनुमानित	2017–18 संशोधित	2018–19 अनुमानित	प्रतिशत

1	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	834.90	1058.59	1181.91	1310.92	8.19
1.1		मस्थल विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0..00	0.00	
1.2		बंजर भूमि विकास (राज्यांश)	752.31	892.13	911.23	910.85	
1.3		स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)	82.58	166.45	270.67	400.07	
2	2505	ग्राम रोजगार	2717.42	3193.35	7441.97	3412.83	21.32
2.1		राष्ट्रीय कार्यक्रम	932.55	1198.60	5507.22	1328.64	
2.2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना	1774.67	1994.75	1934.75	2084.19	
		अन्य कार्यक्रम	10.50	0.00	0.00	0.00	
3	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	7587.19	9057.69	9127.96	10245.81	64.00
4	2575	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	1.36	2.19	2.37	2.78	0.02
4.1		पिछड़े क्षेत्र (मेवात, डांग)	0.91	1.69	1.87	2.28	
4.2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.45	0.50	.50	0.50	
5	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत व्यय	547.13	568.00	653.40	597.00	3.73
6	4575	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय	316.55	442.81	418.73	440.30	2.75
6.1		डांग जिले	47.26	49.41	49.41	49.28	
6.2		पिछडे क्षेत्र	132.93	233.90	171.39	198.19	
6.3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	136.36	159.5	197.98	192.83	
योग			12004.84	14322.63	18826.34	16009.64	100

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

- इस वर्ष ग्रामीण विकास के अंतर्गत सर्वाधिक राशि अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय (दोनों को जोड़कर) के अंतर्गत जारी की गई है जो कुल ग्रामीण विकास के बजट का 67.73 प्रतिशत, लगभग 10842.81 करोड़ रूपये है।
- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, टी.एस.पी., पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम जिला नवाचार कोष एवं मध्यान्ह भोजन को सम्मिलित किया गया है।

- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष के अंतर्गत पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ग्राम विकास, अनुसूचित जातियों की विशिष्ट योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना को शामिल किया गया है।
- ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत कुल आवंटन का 21.32 प्रतिशत लगभग 3412.83 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन हुआ है, महानरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बड़ी योजनाओं की राशि भी इस मद में शामिल है।
- अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम तथा अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय (दोनों को जोड़कर) के अंतर्गत सबसे कम कुल 2.77 प्रतिशत लगभग 443.08 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जिसमें डांग जिले, पिछडे जिले एवं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ग्रामीण बजट की 8.19 प्रतिशत, लगभग 1310. 92 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें बंजर भूमि विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु राज्य खर्च की राशि सम्मिलित है।
- पिछले कुछ वर्षों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च कुल आवंटित राशि की तुलना में बहुत कम हो रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की राज्य में स्थिति (राशि करोड़ में)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (केवल राज्यांश)								
महानरेगा	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 संशोधित	2018–19 अनुमानित
राशि	200.00	266.00	388.50	349.86	361.00	313.58	434.75	434.18

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

राज्य एवं केन्द्र का संयक्त राशि आवंटन (राशि करोड़ में)

	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमानित	2017–18 संशोधित	2018–19 अनुमानित
कुल	3849.86	3809.95	1825.85	1994.75	1934.75	2084.18
केन्द्रीयांश	3500.00	3448.95				

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

- वर्तमान वर्ष में महानरेगा के लिये कुल 2084.18 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है लेकिन यह केवल महानरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में प्रस्तावित राशि की जानकारी है। इस लेख के प्रारम्भ में बताया गया है कि महानरेगा में श्रमिक भुगतान सीधे केन्द्र से किया जा रहा है। इसलिये वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट, 2017–18 के अनुमानित बजट तथा 2018–19 अनुमानित बजट में महानरेगा के कुल आवंटन में श्रमिक भुगतान की राशि सम्मिलित नहीं है।
- उपरोक्त तालिका के अध्ययन से महानरेगा योजना पर राज्य सरकार के खर्च को भी समझा जा सकता है। यदि देखा जाये तो वर्तमान वर्ष 2018–19 में, वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट की तुलना में 120.60 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 57 लाख रूपये

की कटौती की गई है। यहां केवल जानकारी के लिये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार, महानरेगा के कुल सामग्री बजट में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान करती है।

- राज्य एवं केन्द्र के महानरेगा हेतु सामग्री आवंटन में पिछले तीन वर्षों में लगातार वृद्धि दिखाई देती है। वर्ष 2018–19 में पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमान की तुलना में लगभग 90 करोड़ रूपये तथा संशोधित की तुलना में लगभग 150 करोड़ रूपये की अधिक राशि का आवंटन सामग्री मद में किया गया है। उपरोक्त राज्यांश में बढ़ोत्तरी के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि महानरेगा के लिये कुल आवंटित बजट में भी लगभग इसी अनुपात में बढ़ोतरी की गई होगी।

महानरेगा योजना की भौतिक प्रगति

क.सं.	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 जनवरी तक
1	जॉब कार्डधारी परिवार (लाख में)	98.46	99.36	95.24	94.89
2	कार्य पर नियोजित परिवार (लाख में)	36.87	42.21	46.35	39.02
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	1686.19	2341.34	2596.84	1663.94
4	महिलाओं के मानव दिवस (लाख में)	1150.97	1616.06	1740.61	1081.42
5	100 दिवस कार्य वाले परिवार (लाख में)	2.81	4.69	4.27	0.31
6	औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	46	55	56	43
7	औसत श्रमिक दर रूपये प्रति मानव दिवस	115	120	126	145
8	कार्य पूर्णता का प्रतिशत	96.22	63.83	13.02	2.75

स्रोत – महानरेगा की बेबसाईट के आधार पर

- वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक वर्ष दर वर्ष महानरेगा की भौतिक प्रगति में कमी देखने में आई है।
- कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में 46.35 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 39.02 लाख हो गई है।
- वर्ष में 100 दिवस कार्य करने वाले परिवारों की संख्या भी पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में 1740.61 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 1081.32 लाख रह गई है।
- महिलाओं के मानव दिवसों की संख्या में पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में भारी गिरावट हुई है, यह पिछले वर्ष 44.27 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 0.31 लाख रह गई है।
- वर्तमान वर्ष में औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 56 से घटकर 43 तक पहुंच गई है।
- महानरेगा में कार्यपूर्णता का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 96.22 प्रतिशत, 2015–16 में 63.83 प्रतिशत, वर्ष 2016–17 में 13.02 प्रतिशत तथा वर्तमान में और घटकर केवल 2.75 प्रतिशत तक ही रह गया है।

उपरोक्त आलेख के आधार पर ग्रामीण विकास हेतु कुल बजट आवंटन को मुख्य शीर्ष वार तथा योजनावार आधार पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में महानरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना हेतु आवंटन तथा उसकी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति को समझा जा सकता है।

राजस्थान बजट अध्ययन केन्द्र
(आस्था की एक इकाई)

बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर ट्रस्ट

राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई की स्थिति

राजस्थान सरकार पिछले कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति के लिये राज्य बजट से राशि आवंटन करती रही है तथा वर्तमान में सरकार ने भी पेयजल को अपनी प्राथमिकता में रखा है। राज्य बजट से जलापूर्ति एवं सफाई के लिये राशि आवंटन एवं इसकी जानकारी 2215 एवं 4215 बजट शीर्ष के माध्यम से दी जाती है जिसका विस्तृत विवरण बजट पुस्तिका आय व्ययक अनुमान खण्ड 2 स एवं 3 अ में उल्लेखित किया गया है।

राज्य बजट की तुलना में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट (राशि करोड़ में)

	राज्य का बजट	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट	राज्य बजट में प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
वास्तविक (2012–13)	81263.91	2933.79	3.61	
वास्तविक (2013–14)	94101.08	4599.67	4.89	56.78
वास्तविक (2014–15)	116605.48	6565.54	5.63	42.74
वास्तविक (2015–16)	129736.02	6784.42	5.23	3.33
वास्तविक (2016–17)	139727.68	6818.87	4.88	0.51
अनुमानित (2017–18)	166753.90	8647.21	5.19	26.81
संशोधित (2017–18)	175615.12	8108.12	4.62	.6.23
अनुमानित (2018–19)	197274.66	8671.66	4.40	6.95

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

नोट - कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

ऊपरी तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले लगभग 7 वर्षों में राज्य बजट की तुलना में लगभग 3.50 से 5.50 प्रतिशत के मध्य रहा है। वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई के लिये कुल 8671.66 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, जो कि राज्य के बजट का लगभग 4.40 प्रतिशत है। जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में कुल 8647.19 करोड़ रूपये का आवंटन तय किया गया था, जिसे इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में लगभग 540 करोड़ रूपये कम का खर्च बताया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017–18 के अुनमान की तुलना में संशोधित बजट में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटन को कुल राज्य बजट की तुलना में 5.19 प्रतिशत से घटाकर 4.62 प्रतिशत कर दिया है।

इसके साथ ही जलापूर्ति एवं सफाई मद में आवंटित राशि की वृद्धि दर को भी उपरोक्त सारणी के आधार पर समझा जा सकता है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित बजट में जलापूर्ति एवं सफाई के आवंटन में 6.23 प्रतिशत की गिरावट आई है तथा वर्तमान वर्ष में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.95 प्रतिशत बढ़ा है।

यदि देखा जाये तो सरकार ने वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक जलापूर्ति तथा सफाई हेतु आवंटन में निरंतर बढ़ोतरी की है लेकिन 2015–16 से 2018–19 तक सरकार ने इस मद में आवंटन को नियमिति रूप से घटाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार जलापूर्ति एवं सफाई मद में प्रत्येक वर्ष के बजट अनुमानों में मोटी राशि का आवंटन करती है, लेकिन हर वर्ष संशोधित अनुमान तथा वास्तविक खर्च के आंकड़े तय अनुमानों से कम राशि के खर्च की जानकारी मिलती हैं, जो कि सरकार तथा संबंधित विभागों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित बजट का वितरण (राशि करोड़ में)

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
वास्तविक (2014–15)	2082.3	4483.22	6565.54
वास्तविक (2015–16)	2400.99	4383.43	6784.42
वास्तविक (2016–17)	2619.14	4199.72	6818.87

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

(राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
अनुमानित (2017–18)	7581.49	1065.72	8647.21
संशोधित (2017–18)	7042.40	1065.72	8108.12
अनुमानित (2018–19)	7720.03	951.63	8671.66
प्रतिशत	89.03	10.97	100

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

नोट– वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार ने बजट में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद के विवरण के स्थान पर राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता की राशि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई के लिये कुल 8671.66 करोड़ खर्च होना प्रस्तावित है, जिसमें से 7720.03 करोड़ रूपये लगभग 89.03 प्रतिशत राज्य निधि से तथा 981.63 करोड़ लगभग 10.97 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अंर्तगत खर्च होने प्रस्तावित हैं। पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिए कुल 8647.21 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया था, इस वर्ष आवंटित कुल राशि में से 7581.48 करोड़ रूपये लगभग 87.67 प्रतिशत राज्य निधि तथा 1065.72 करोड़ रूपये लगभग 12.32 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत खर्च किया जाना प्रस्तावित था।

जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित कुल बजट (राशि करोड़ में)

वर्ष	जलापूर्ति	सफाई	कुल
2012–13 (वास्तविक)	2718.00	215.80	2933.79
2013–14 (वास्तविक)	4353.34	246.33	4599.67
2014–15 (वास्तविक)	6324.52	241.02	6565.54
2015–16 (वास्तविक)	6524.59	259.77	6784.42
2016–17 (वास्तविक)	6499.03	319.84	6818.87
2017–18 (अनुमानित)	8298.04	349.17	8647.21
2017–18 (संशोधित)	7776.51	331.60	8108.12
2018–19 (अनुमानित)	8313.55	358.12	8671.66
प्रतिशत	95.87	4.13	100.5

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से राज्य सरकार द्वारा जलापूर्ति एवं सफाई मद में आवंटित कुल राशि को अलग–अलग करके समझा जा सकता है। वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु कुल 8671.66

करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, यह आवंटन पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। इस आवंटन में से 8313.55 करोड़ रूपये, लगभग 95.87 प्रतिशत जलापूर्ति तथा 3358.12 करोड़ रूपये लगभग 4.13 प्रतिशत सफाई हेतु आवंटित किया गया है। पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.21 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया था, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत, लगभग 8298.04 करोड़ रूपये जलापूर्ति तथा 349.17 करोड़ रूपये लगभग 4 प्रतिशत सफाई मद में आवंटित किये गया था। यदि देखा जाये तो जलापूर्ति हेतु पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष केवल 15 करोड़ रूपये तथा सफाई के लिये केवल 9 करोड़ रूपये अधिक का ही आवंटन किया गया है।

वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति बजट का वितरण (राशि करोड़ में)

मद	कुल बजट	प्रतिशत
शहरी जलापूर्ति	2283.81	27.47
ग्रामीण जलापूर्ति	4263.46	51.28
अनुसूचित जाति	1011.54	12.17
जनजाति	753.47	9.06
प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय	1.77	0.02
अन्य हास	0.50	0.60
कुल	8313.55	100

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है, वर्तामन वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.19 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से लगभग 95.87 प्रतिशत राशि का व्यय जलापूर्ति पर होना प्रस्तावित है। वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति हेतु कुल 8313.55 करोड़ रूपये का आवंटन किया हुआ है, जिसमें से सर्वाधिक आवंटन ग्रामीण जलापूर्ति हेतु 4263.46 करोड़ रूपये लगभग 51.28 प्रतिशत तथा शहरी जलापूर्ति के लिए 2283.81 करोड़ रूपये लगभग 27.47 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही जलापूर्ति हेतु कुल आवंटित राशि में से लगभग 12.17 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना तथा 9.06 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना में खर्च होनी प्रस्तावित है।

वर्ष 2018–19 में मल जल तथा सफाई बजट का वितरण (राशि करोड़ में)

मद	**कुल बजट**	**प्रतिशत**
निदेशन प्रशासन	347.21	96.95
सर्वेक्षण तथा जांच पडताल	2.33	0.65
मल जल सेवाएं	1.93	0.54
नगर पालिका/परिषद को सहायता	6.60	1.84
कुल	**358.12**	**100**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है, वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.19 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से केवल 4.13 प्रतिशत राशि का व्यय सफाई पर होना प्रस्तावित है। वर्ष 2018–19 में सफाई हेतु कुल 358.12 करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है, जिसमें से

सर्वाधिक 96.95 प्रतिशत लगभग 347.21 करोड़ रूपये निदेशन एवं प्रशासन मद में खर्च होने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही सफाई हेतु आवंटित कुल राशि में से केवल 3 प्रतिशत राशि से सर्वेक्षण, जांच पड़ताल, मल–जल सेवाओं का सुधार तथा नगर पालिका एवं परिषदों को सहायता देने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट को चुनावी जामा पहनाते हुए, जलापूर्ति एवं सफाई सहित लगभग सभी क्षेत्रों में बड़ी–बड़ी बजट घोषणाएं तो की हैं लेकिन अब देखना यह है कि उन घोषणाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी तथा समय पर हो सकेगा।

राजस्थान में शिक्षा एवं बजट

भारत विश्व के निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है। 2014 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में 130वें पायदान पर है जो बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। देशों में शिक्षा की स्थिति मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। भारत में फिलहाल 29 राज्य और 7 संघ राज्य है। अगर इन राज्यों का मानव विकास सूचकांक देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थान निम्न सूचकांक वाले राज्यों में है। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74. 04 प्रतिशत) से कम है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राजस्थान भारत के राज्यों और संघीय प्रदेशों की सूची में 4 पायदान लुढ़ककर के 29वें स्थान से 33वें स्थान पर पहुँच गया है। पुष एवं महिला साक्षरता दर के मामले में भी राजस्थान बाकि राज्यों और संघ राज्यों से बहुत पीछे है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पुरूष साक्षरता दर 80.51 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है।

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामिण सारक्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। शिक्षा के अधिकार कानून हेतु तय मापदंडों के अनुसार भी राज्य की स्थिति बेहद खराब है। प्रस्तुत नोट में राज्य में शिक्षा की स्थिति एवं आवंटित बजट का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति राज्य के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद कमजोर है जिसका विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

तालिका–1 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति (प्रतिशत) (आधार वर्ष 2015–16)

सुविधाएं	केवल प्राथमिक	केवल उच्च प्राथमिक	कुल
पेयजल की सुविधा	94.3	93.4	96.8
लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा	99.0	98.1	99.2
लड़कियों हेतु शौचालय की सुविधा	99.4	100	99.7
बिजली की सुविधा	18.9	89.5	55.3
विद्यालय में चार दीवारी	66.8	93.5	83.0
खेल का मैदान	35.6	65.4	52.3
छप्पर सहित रसोई घर	79.3	86.9	81.2

स्त्रोत - डाइस स्टेट रिर्पोट कार्ड 2015–2016

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य के करीब 3.2 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा का अभाव है एवं करीब 1 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा का अभाव है। राज्य में करीब 48 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैंदान नहीं है, प्राथमिक विद्यालयों में यह समस्या और अधिक है। इसी प्रकार करीब 45 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान बजट अध्ययन केन्द्र
(आस्था की एक इकाई)

बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर ट्रस्ट

तालिका–2 प्रदर्शन सूचकांक (आधार वर्ष 2015–16)

प्रदर्शन सूचकांक	प्राथमिक (प्रतिशत में)	समस्त विद्यालय (प्रतिशत में)
एकल कक्षा–कक्ष वाले विद्यालय	6.0	2.7
एकल अध्यापक वाले विद्याालय	29.1	11.9
विधार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर)	20	19
विधार्थी कक्ष अनुपात (एस.सी.आर.)	15	21
प्रति विद्यालय औसत अध्यापक	2.2	6.1

स्त्रोत - डाइस डेटा, स्टेट रिर्पोट कार्ड 2015–2016

राज्य में करीब 2.7 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो कि मात्र एक ही कक्षाकक्ष में चल रहे हैं और राज्य में कुल 6. 3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक ही कक्षाकक्ष है। राज्य में करीब 12 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें सिर्फ एक ही शिक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 29 प्रतिशत विद्यालय मात्र एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 20 है और राज्य की कुल विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 19 है। राज्य में प्रति विद्यालय औसत अध्यापक 6.1 है और ये अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में 2.2 है।

तालिका–3 विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद (आधार वर्ष 2014–15)

विद्यालय प्रकार/शिक्षक स्तर	स्वीकृत पद	रिक्त पद (प्रतिशत में)
आदर्श विद्यालय		
व्याख्याता	9684	3840 (39.65)
वरिष्ठ अध्यापक	5536	1578 (28.5)
तृतीय श्रेणी अध्यापक	8369	940 (11.23)
सभी विद्यालय		
व्याख्याता	47327	18191 (38.44)
विषय अध्यापक	–	16415
तृतीय श्रेणी अध्यापक	–	37580

चोत - सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर

राज्य के विद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति बेहद खराब है, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षको के हजारों पद रिक्त हैं। सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 37580 पद, विषय अध्यापकों के 16415 पद एवं व्याख्याताओं के करीब 18191 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार राज्य के आदर्श विद्यालयों में भी भारी संख्या में पद खाली हैं, इन विद्यालयों में व्याख्याता के करीब 40 प्रतिशत, वरिष्ठ अध्यापकों के 28.5 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के करीब 11 प्रतिशत पद रिक्त है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि डाईस के अनुसार राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर) काफी अच्छा है।

राजस्थान में शिक्षा बजट राज्य में शिक्षा बजट की स्थिति का विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

तालिका–4 राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय (राशि करोड़ में)

मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक व्यय	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
राजस्व	23707.67	22221.22	21096.95	25222.66	25563.19	24498.21	26807.18	28012.51	33721.35
पूंजीगत	116.90	170.04	155.02	239.12	139.12	119.07	881.00	585.48	831.96
कुल व्यय	23824.57	22391.26	21251.97	25461.78	25702.31	24617.28	27688.18	28597.99	34553.32
राज्य के बजट वयय से प्रतिशत	17.3	16.3	16.4	16.8	17.3	17.6	16.6	16.3	17.5
जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत	3.5	3.3	3.2	3.4	3.4	3.2	3.3	3.4	3.7

स्रोत - बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट -शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेंवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2018–19 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2018–19 हेतु करीब 34553.32 करोड़ आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 20.8 प्रतिशत अधिक है, यह बढ़ोतरी संभवत राज्य में सातवें वेतन आयोग को लागू करने के परिणामस्वरुप शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से हुई है। गत वर्ष 2017–18 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 27688.18 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कुछ बढ़ाकर करीब 28597.99 करोड़ कर दिया गया है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय मात्र करीब 2.5 से 3 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 97 से 97.5 प्रतिशत राजस्व है। गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के बजट में पूंजीगत आवंटन में बढ़ोतरी की गयी है। राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय को राज्य के कुल बजट व्यय के प्रतिशत रुप में देखा जाये तो यह विगत 5 वर्षों में करीब 16–17.5 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार यदि राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय की तुलना सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) से की जाये तो यह मात्र करीब 3 से 3.5 प्रतिशत के आसपास रहा है।

सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय

तालिका–5 सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय (2202) (राशि करोड़ में)

मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक व्यय	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
प्राथमिक शिक्षा	13614.5 (58.39)	10854.3 (49.74)	10517.4 (50.74)	11787.7 (47.51)	11041.3 (43.92)	10647.6 (44.2)	10970.7 (41.58)	11211.3 (40.7)	13260.2 (39.9)
माध्यमिक शिक्षा	8246.16 (35.36)	9489.67 (43.49)	8775.45 (42.34)	11442.9 (46.12)	12553.4 (49.93)	11985.2 (49.7)	13788.8 (52.26)	14745.5 (53.5)	18096.1 (54.5)
उच्च शिक्षा	1076.50 (4.62)	1175.48 (5.39)	1164.64 (5.62)	1226.54 (4.94)	1225.76 (4.88)	1169.6 (4.9)	1248.16 (4.73)	1226.7 (4.4)	1372.8 (4.1)
प्रोढ़ शिक्षा	87.46 (0.38)	40.17 (0.18)	19.20 (0.09)	68.10 (0.27)	26.43 (0.11)	25.1 (0.1)	58.86 (0.22)	56.3 (0.2)	59.8 (0.2)
भाषा विकास	212.82 (0.91)	191.04 (0.88)	187.42 (0.9)	205.31 (0.83)	216.48 (0.86)	208.1 (0.9)	238.36 (0.90)	248.0 (0.9)	310.3 (0.9)
सामान्य	79.90 (0.34)	69.86 (0.32)	63.68 (0.31)	82.31 (0.33)	78.17 (0.31)	70.8 (0.3)	81.49 (0.31)	91.6 (0.3)	107.2 (0.3)
कुल	23317.4 (100)	21820.6 (100)	20727.8 (100)	24812.9 (100.)	25141.6 (100)	24106.5 (100)	26386.4 (100)	27579.4 (100)	33206.5 (100)

स्रोत - बजट पुस्तिका, वित्त विभाग–राजस्थान सरकार, संबंधित वर्ष

नोट - ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

शिक्षा बजट में वर्ष 2015–16 तक राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती रही है। जबकि वर्ष 2015–16 से प्राथमिक शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर माध्यमिक शिक्षा में बढ़ोत्तरी की गयी है। कुल शिक्षा बजट का केवल 4 से 5 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर व्यय हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष प्रौढ़ शिक्षा एवं भाषा विकास में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है।

सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत व्यय

तालिका–6 शिक्षा, खेल कुद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204) (राशि करोड़ में)

वर्ष	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
राशि	116.90	170.04	155.0	239.1	139.1	119.1	881.7	585.5	832.0

स्रोत - बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय 2–3 प्रतिशत है, जबकि करीब 97–98 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यय है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2017–18 में करीब 881 करोड़ रु. आवंटित किये थे जिसको संशोधित बजट में कम करके 585 करोड़ रु. कर दिया गया है। साल 2018–19 के बजट अनुमान में पूंजीगत बजट करीब 832 करोड़ रु. रखा गया है। अतः गत दो वर्षों में शिक्षा पर पूंजीगत बजट में अच्छी बढ़ोतरी की गयी है।

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट

सर्व शिक्षा अभियान देश में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की प्राप्ति व शिक्षा में जेण्डर–गैप खत्म करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम (फ्लैगशिप प्रोग्राम) है। यह कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली बस्तियों एवं क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालय निर्माण, अतिरिक्त शिक्षकों नियुक्ति एवं पीने के पानी की व्यवस्था आदि सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2001–02 से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियांवयन को सुनिश्चित करना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है।
केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना सहायता अनुपात भी धीरे–धीरे कम कर दिया गया है। जब वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया तो उस समय केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमश 85:15 था, जिसको बाद के वर्षो में कम करके 75:25 कर दिया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके क्रमश 62 व 65.5 प्रतिशत के करीब कर दिया। वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके मात्र करीब 26 प्रतिशत ही रखा था। हालांकि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के बजट में केन्द्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा क्रमश 60 व 40 प्रतिशत है।

तालिका–7 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ में)

मद / वर्ष	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
केन्द्रीय अनुदान	1296.71 (26.00)	2615.00 (64.97)	–	2718.43 (60)	2718.43 (60)		–		
राज्यांश	3690.63 (74.00)	1410 (35.03)	–	1812.28 (40)	1812.29 (40)		–		
कुल योग	4987.34 (100)	4025 (100)	4025.00	4530.71 (100)	4530.72 (100)	उपलब्ध नहीं	4530.72 (100)	5644.83	7050.0

स्रोत - बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

वर्ष 2014–15 से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियन हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया गया था। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि वर्ष 2014–15 से राज्य सरकार को प्रदान की जाती

है। सर्व शिक्षा अभियान की अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय होती है, वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस. एस.ए. के कुल आंवटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत वेतन भत्ते के लिए आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में एस.एस.ए का कुल बजट करीब 7050 करोड़ रु. रखा गया है जो गत वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान से काफी अधिक है।

माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट

तालिका–8 राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ में)

मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
कुल बजट	1086.48	721.87	588.55	1538.00	619.00		700	766.32	903.40
केन्द्रीयांश	814.86	410.32	–	900.00	358.12	उपलब्ध नहीं	–		

स्रोत - बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 130 करोड़ रूपये अधिक है। उपरोक्त आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटित राशि में से बहुत कम खर्च कर पा रही है, अगर हम 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के संशोधित अनुमान की राशि देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ये इन वर्षो के बजट अनुमान से काफ़ी कम है, साथ ही इन वर्षों में वास्तविक व्यय तो और भी कम है।

प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट का आंकलन

तालिका–9 प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट

मद / वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
कुल बजट (राशि करोड़ रु. में)	11519	10517.39	10648.01	11421.26	13397.17
कुल नामांकित बच्चे (लाख में)	60.75	63.89	62.84	–	–
प्रति बालक बजट राशि (राशि रु. में)	18961.25	16461.72	16931.16	18160.70*	21302.55*
कुल विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	79098	80086	77218	–	
प्रति विद्यालय (राशि लाख रु. में)	14.56	13.30	15.13	16.23*	19.03*

स्रेत- 1. बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

2. आर्थिक समिक्षा, राजस्थान सरकार, 2015–16 एवं 2016–17

नोट वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिये प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय बजट की गणना 2016–17 को आधार मानकर की गयी है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2014–15 में प्रति बालक करीब 18961.25 रु. एवं वर्ष 2015–16 में प्रति बालक करीब 16461.72 रु तथा वर्ष 2016–17 में 16931 रु. खर्च किये गये। जबकि संशोधित बजट के अनुसार वर्ष 2017–18 में प्रति बालक करीब 18160.7 रु. एवं वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान के अनुसार इस साल प्रति बालक करीब 21302.55 रु आवंटित किये गये हैं।
इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में प्रति विद्यालय करीब 14.56 लाख रु. एवं वर्ष 2015–16 में प्रति विद्यालय करीब 13.30 लाख रु. रु तथा वर्ष 2016–17 में 15.13 लाख रु. खर्च किये गये। जबकि वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट में प्रति विद्यालय करीब 16.23 लाख रु एवं वर्ष 2018–19 में प्रति विद्यालय करीब 19.03 लाख रु. आवंटित किये गये हैं।

- **विद्यालयों को मिलने वाला अनुदान** राज्य में विद्यालयों को निम्न प्रकार के वार्षिक अनुदान मिलते हैं जिस पर विद्यालय प्रबंध समिती (SMC) का नियंत्रण रहता है
- **विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG)** : विद्यालय सुविधा अनुदान (School Facilities Grant) के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000 रु जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 रु मिलते हैं।
- **विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (SMRG)** : विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (School Maintenance Renovation Grant) के अंतर्गत यदि विद्यालय में 3 या इससे कम कमरे हैं तो 5000 रु और यदि 3 कमरों से अधिक है तो 10000 रु मिलते हैं।
- **टीएलएम अनुदान (Teaching Learning Material Grant)** : टीएलएम अनुदान 2 वर्ष से बंद है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य के विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है अतः सरकार को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये। इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना चाहिये। इस हेतु राज्य में शिक्षा पर बजट खर्च को बढाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान में सरकार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मात्र करीब 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, बजट खर्च एवं इनको मिलने वाले विभिन्न अनुदानों की निगरानी एवं इनके उपयोग में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य हेतु बजट

स्वास्थ्य मानव विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश में स्वास्थ्य के हालात बेहद कमजोर हैं साथ ही बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित हैं।

राजस्थान की बात की जाये तो एनएफएचएस–4 (वर्ष 2015–16) के अनुसार राज्य में करीब 46.8 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। पोषण के अनुसार राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 39.1 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के हैं वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 60.3 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार हैं तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 36.7 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 46.8 प्रतिशत महिलाएं एनिमिया से ग्रसित हैं। राजस्थान की 2017–18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 41 (प्रति हजार जीवित जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (34) से 7 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 244 (प्रति लाख जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (167) से 77 अंक अधिक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरीये प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचा

तालिका–1: राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति

चिकित्सा संस्थान	चिकित्सा संस्थानो की संख्या (2016–17)	चिकित्सा संस्थानो की संख्या (2017–18)
चिकित्सालय	114	115
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	579	586
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	2079	2080
औषधालय	194	193
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	52	53
उप केन्द्र	14407	14406
एड्पोस्त (शहरी)	13	13
शैय्याएं	47241	50605

स्रेत - आर्थिक समीक्षा, 2016–17, 2017–18

तालिका–1 में देखा जा सकता है कि राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (2012) के अनुसार पूरा नहीं है। पिछले वर्ष 2016–17 के मुकाबले इस वर्ष 2017–18 में चिकित्सा संस्थानों में काफी बदलाव नहीं आया है। औषधालय और उप केन्द्रो की संख्या पिछले वर्ष से कम

हो गयी है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) में भी केवल एक की बढ़ोतरी हुई है। एड्पोस्त (शहरी) की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है।

इसके अलावा राजस्थान राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा कर्मचारियों की स्थिति भी काफी ख़राब है। भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे 2012 और 2015 के अनुसार मानवीय संसाधनों में राजस्थान की स्थिति काफी ख़राब है। राज्य में करीब 31.5 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इन कुछ कारणों की वजह से राज्य के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य सूचकों की स्थिति सुधर तो रही है लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले इनकी स्थिति चिंताजनक है।

चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्थान का कुल बजट (उदय बिना) 197274.66 करोड़ रूपये है जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल 12813.48 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जो कुल राज्य बजट का 6.5 प्रतिशत है और पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से केवल 0.35 प्रतिशत ज्यादा है।

तालिका–2 : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट विवरण (राशि करोड़ रू में)

वर्ष / मद		चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			परिवार कल्याण			महा योग
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	
2014–15 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3101.65	0	3101.65	28.15	..	28.15	**3129.8**
	आयोजना	1548.57	1073.78	2622.35	2951.25	..	2951.25	**5573.6**
	योग	**4650.22**	**1073.78**	**5724**	**2979.39**	..	**2979.39**	**8703.39**
2014–15 वास्तविक व्यय	आयोजना भिन्न	2982.83	0	2982.83	22.8	..	22.8	**3005.63**
	आयोजना	971.15	484.32	1455.47	1996.6	..	1996.6	**3452.07**
	योग	**3953.98**	**484.32**	**4438.3**	**2019.4**	..	**2019.4**	**6457.7**
2015–16 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3325.23	0	3325.23	27.32	..	27.32	**3352.55**
	आयोजना	1995.44	1068.69	3064.13	2999.59	..	2999.59	**6063.72**
	योग	**5320.67**	**1068.69**	**6389.36**	**3026.91**	..	**3026.91**	**9416.27**
2015–16 वास्तविक	आयोजना भिन्न	3172.31	0	3172.31	23.4	..	23.4	**3195.71**

व्यय	आयोजना	1567.39	575.58	2142.97	2419.12	..	2419.12	**4562.09**
	योग	**4739.7**	**575.58**	**5315.28**	**2442.53**	..	**2442.53**	**7757.81**
2016–17 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3464.3	26.94	3491.24	0	..	0	**3491.24**
	आयोजना	2236.4	2547.95	4784.35	1261.78	..	1261.78	**6046.13**
	योग	**5700.7**	**2574.89**	**8275.59**	**1261.78**	..	**1261.78**	**9537.37**
2016–17 संशोधित अनुमान	आयोजना भिन्न	3573.02	0	3573.02	27.88	..	27.88	**3600.9**
	आयोजना	2059.04	645.22	2704.26	2268.31	..	2268.31	**4972.57**
	योग	**5632.06**	**645.22**	**6277.28**	**2296.19**	..	**2296.19**	**8573.47**
2016–17 वास्तविक व्यय	आयोजना भिन्न	**3492.33**	..	**3492.33**	**24.96**	..	**24.96**	**3517.29**
	आयोजना	**1961.35**	**515.34**	**2476.69**	**2259.20**	..	**2259.20**	**4735.89**
	योग	**5453.67**	**515.34**	**6634.84**	**2284.16**	..	**2284.16**	**8253.18**
2017–18 बजट अनुमान	केन्द्र निधि	5874.12	760.72	6634.84	848.7	..	848.7	**7483.54**
	राज्य निधि	193.95	569.9	763.85	1503.19	..	1503.19	**2267.04**
	योग	**6068.07**	**1330.62**	**7398.69**	**2351.88**	..	**2351.88**	**9750.57**
2017–18 संशोधित अनुमान	राज्य निधि	**7001.84**	**668.53**	**7670.37**	**1285.93**	..	**1285.93**	**8956.30**
	केन्द्र निधि	**71.11**	**243.04**	**314.15**	**1530.35**	..	**1530.35**	**1844.50**
	योग	**7072.95**	**911.57**	**7984.52**	**2816.28**	..	**2816.28**	**10800.80**
2018–19 बजट अनुमान	राज्य निधि	**9009.18**	**741.93**	**9751.11**	**1036.46**	..	**1036.46**	**10787.57**
	केन्द्र निधि	**40.09**	**232.61**	**272.70**	**1753.21**	..	**1753.21**	**2025.91**
	योग	**9049.28**	**974.54**	**10023.82**	**2789.66**	..	**2789.66**	**12813.48**

स्त्रोत - राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका–2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में की गई कुल आवंटित राशि को दर्शाता है। तालिका द्वारा देखा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष 2018–19 में सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 12813.48 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में 9750.57 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे जो संशोधित बजट में बढ़कर 10800.80 करोड़ रूपये हो गए। वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार की कुल अनुमानित बजट राशि में वर्ष 2016–17 और 2017–18 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में काफी बढ़ोतरी की गयी है। हालांकि चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के आयोजना बजट में 2017–18 की तुलना में 3062.88 करोड़ रू की बढ़ोतरी की गयी है।

राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्साः

नीचे दी गयी तालिका–3 राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा दर्शाती है:

तालिका–3 : राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	मद	कुल राज्य बजट (उदय बिना)	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल आवंटन	प्रतिशत
2014–15	बजट अनुमान	131426.9	8703.359	6.62
	वास्तविक व्यय	116605.5	6457.71	5.54
2015–16	बजट अनुमान	137713.38	9416.27	6.84
	वास्तविक व्यय	129736.02	7757.8	5.98
2016–17	बजट अनुमान	151127.7	9537.39	6.31
	संशोधित अनुमान	148506.69	8573.5	5.77
	वास्तविक व्यय	139727.68	8253.18	5.91
2017–18	बजट अनुमान	166753.9	9750.6	5.85
	संशोधित अनुमान	175615.12	10800.80	6.15
2018.19	बजट अनुमान	197274.66	12813.48	6.50

स्रोत - राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

तालिका–3 के अनुसार वर्ष 2018–19 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 6.50 प्रतिशत और 2017–18 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 5.85 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया जो 2017–18 के संशोधित बजट में बढ़कर 6.15 प्रतिशत एवं 2016–17 के लेखे में घटकर 5.91 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा 2018–19 में राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 0.35 प्रतिशत बढ़ा है।

शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय

2017–18 में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं पर आंवटित कुल राजस्व एवं पूंजीगत बजट 1922.11 करोड़ रूपये था जो 2017–18 के संशोधित बजट में बढ़कर 2335.23 करोड़ रूपये हो गया। 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में 2018–19 के बजट अनुमान में लगभग 357.17 करोड़ रूपये कम किया गया है।

इसके अलावा 2017–18 के बजट अनुमान में ग्रामीण स्वास्थ्य पर किये जाना वाला कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2269.61 करोड़ रूपये था जो संशोधित बजट में बढ़कर 2734.90 करोड़ रूपये हो गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल बजट अनुमान में 1930.54 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं जो गत वर्ष की तुलना में 339.07 करोड़ रूपये कम है।

राजस्थान की लगभग 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में कम बजट खर्च होने व कम स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने के कारण लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं जो उनके स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च को और बढ़ा देता है।

नीचे दी गयी तालिका राज्य में शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य पर कुल खर्च को दर्शाती है:

तालिका–4 : शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	मद	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	कुल शहरी	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	कुल ग्रामिण
2014–15	बजट अनुमान	1504.90	202.34	196.32	**1903.54**	1054.19	386.53	220.97	**1661.69**
2014–15	वास्तविक व्यय	1390.43	174.09	157.55	**1722.08**	928.19	371.32	118.39	**1417.90**
2015–16	बजट अनुमान	1571.37	203.53	113.59	**1888.49**	1164.69	438.75	306.8	**1910.24**
2015–16	वास्तविक व्यय	1480.00	194.96	23.04	**1698.00**	1026.05	443.60	130.49	**1600.14**
2016–17	बजट अनुमान	1649.86	227.15	101.17	**1978.17**	1215.66	462.97	313.36	**1991.99**
2016–17	संशोधित अनुमान	1649.30	212.37	25.22	**1886.89**	1261.05	464.63	204.86	**1930.54**
2016–17	वास्तविक व्यय	1790.77	249.89	123.17	**2163.83**	1455.79	500.72	241.35	**2197.86**
2017–18	बजट अनुमान	1922.11	254.75	67.20	2244.06	1491.45	581.93	196.24	2269.61

2017–18	संशोधित अनुमान	2335.23	312.07	121.39	2768.69	1871.18	656.61	207.11	2734.90
2018–19	बजट अनुमान	1649.30	212.37	25.22	**1886.89**	1261.05	464.63	204.86	**1930.54**

स्त्रोतः राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान

नीचे दी गई तालिका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाली मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान को दर्शाती है।

तालिका–5 : मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	आयोजना	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना	भामाशाह स्वास्थ्य बिमा योजना
		शहरी	ग्रामीण			
2014–15	बजट अनुमान	290.13	1830	299.56	131.52	–
2014–15	वास्तविक व्यय	75.55	1129.08	245.04	85.44	–
2015–16	बजट अनुमान	290.13	1834	367.42	131.22	213.76
2015–16	वास्तविक व्यय	81.16	1643.04	363.46	111.83	213.45
2016–17	बजट अनुमान	117.50	1622.61	360.36	129.46	431.00
2016–17	संशोधित अनुमान	70.5	1415.49	300.36	117.06	–
2016–17	वास्तविक व्यय	26.92	1551.06	–	138.32	410.87
2017–18	बजट अनुमान	90.48	1525.21	415.99	156.54	532.28
2017–18	संशोधित अनुमान	42.95	2158.62	560.02	175.51	866.00
2018–19	बजट अनुमान	121.53	1788.61	557.09	185.39	1491

चोत - राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन :** वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर अनुमानित बजट राशि 290.13 करोड़ रूपये और 117.51 करोड़ रूपये थी। 2015–16 के लेखे में यह घटकर सिर्फ 81.16 करोड़ रूपये और 2016–17 में वास्तविक व्यय सिर्फ 26.92 करोड़ रूपये हुआ। इससे सरकार की बजट राशि उपयोग कर पाने की अक्षमता प्रतीत होती है। 2017–18 की बजट अनुमान राशि में 2016–17 की बजट अनुमान राशि की तुलना में लगभग 27.02 करोड़ रूपये की कमी की गयी थी व 2018–19 के बजट अनुमान में उसे 31.05 प्रतिशत और बढ़ाया गया है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 1834 करोड़ रूपये और 2016–17 के बजट अनुमान में कुल 1622.61 करोड़ रूपये आवंटित किये गए, जो 2015–16 के लेखे में घटकर 1643.04 करोड़ रूपये और 2016–17 लेखे में घटकर 1551.06 करोड़ रूपये हो गया। इसके अलावा 2017–18 के संशोधित बजट में 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 633.41 की बढ़ोतरी की गयी गयी है। 2018–19 में इस योजना का बजट करीब 263.40 करोड़ रूपये से बढ़ाया गया है।

- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना :** वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुमानित बजट राशि में 367.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 363.46 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की अनुमानित बजट राशि में कुल 415.99 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो संशोधित अनुमान में बढ़कर 560.02 करोड़ रूपये हो गया। 2018–19 में इस स्कीम में 141.1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को देखते हुए यह आवंटन कम व चिंताजनक है।

- **मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना :** मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुमानित बजट राशि में 131.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से सिर्फ 111.83 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल बजट अनुमान 129.46 करोड़ रूपये था जिसमें से 138.32 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वर्ष 2018–19 में इस योजना की राशि में 28.84 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

- **भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना :** वित्तीय वर्ष 2015–16 में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में 213.76 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया था जिसमे 213.5 करोड़ रूपये खर्च किये गए। 2016–17 में इस बजट को बढ़ाकर 431.00 करोड़ रूपये कर दिया गया जो 2015–16 की तुलना में लगभग दुगुना था। परंतु यह बजट पूर्ण तरह से इस्तमाल नहीं किया जा सका। इसके बावजूद वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिए बजट राशि को बढ़ाकर के 532.38 करोड़ रूपये कर दिया गया एवं बजट दिसम्बर माह तक ही समाप्त हो गया। इसके पश्चात् इसी वर्ष बजट को बढ़ाकर 866 करोड़ रूपये कर दिया गया। वर्ष 2018–19 में इस योजना का कुल बजट 1491 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया है जो की पिछले वर्ष के प्रस्तावित बजट से लगभग तीन गुना है ।

राज्य स्वास्थ्य बजट के विश्लेषण के साथ यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह बजट स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है।

राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)

जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सरकार ने हाल के वर्षो में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा देने पर काफी ज़ोर दिया है। राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2016–17 एवं 2017–18 के अनुसार राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीपीपी की दिशा में निम्न कार्य हुऐ हैं।

- वर्ष 2016–17 में, सरकार द्वारा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से 243 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) चलाने के लिए दिये गये। पहले चरण में 44 PHC परीक्षण चरण के तहत चल रहे थे। मूल्यांकन के बाद यह संख्या 77 तक बढ़ा दी गई थी। वर्ष 2017–18 में 53 और PHC सार्वजनिक निजी भागीदारी में शामिल किए गए थे।
- 2016–17 में 9 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत चलाये गये थे। वर्ष 2017–18 में 29 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैनर सुविधा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की जा रही है।
- 2017–18 तक 4 अस्पताल पीपीपी के तहत एमआरआई स्कैनिंग सुविधा हेतु चलाये गये थे।
- 2016–17 में 9 जिलों के अस्पतालों के लिए हेमोडियालिसिस सेवा प्रदान करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 4 अस्पतालों (भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद) में शुरू किया गया था। 2017–18 में इस अनुबंध पर 19 जिला अस्पतालों के लिए हस्ताक्षर किए गए एवं 8 (झुन्झुनू, चुरू, अजमेर, अलवर, बुंदी, सीकर, भरतपुर और कोटा) अस्पतालों में यह सेवाएं शुरू की गईं।

हांलाकि आर्थिक समीक्षा या स्वास्थ्य विभाग के वार्षिक रिपोर्ट या वैबसाइट पर यह जानकारी नहीं दी गयी हैं की पीपीपी के तहत इन योजनाओं का कितना लाभ आम लोगों को हुआ है एवं ये सुविधाएं पहले से कितनी बेहतर हुई हैं।

राजस्थान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट और संरचना के विश्लेषण के साथ यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे की स्थिति पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आवंटित बजट राज्य की स्वास्थ्य स्थिति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण इलाकों में 75 प्रतिशत से अधिक आबादी रह रही है, लेकिन अभी भी कुल बजट में से मात्र करीब 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आय कम होती है। इनकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लोगों की आय अधिक होने से वे अपने स्वास्थ्य व्यय की लागत सहन करने में सक्षम हैं। फिर भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया जाता है बजट आवंटित किया जाता है जो की बहुत ही कम है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी लॉन्च किया है लेकिन इसके लाभ अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।

राजस्थान बजट अध्ययन केन्द्र
(आस्था की एक इकाई)

बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर ट्रस्ट

राज्य में महिलाओं के लिये बजट तथा जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण

पोषण के बजट में हुई बढ़त, जेण्डर बजट विवरण फिर निराशाजनक

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 3.2 करोड़ महिलाएं हैं। जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएँ 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख महिलाएँ 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। राजस्थान का लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में 922 से बढ़ कर 927 महिलाएँ प्रति 1000 पुष हो गया है परन्तु यह देश के लिंगानुपात की तुलना में कम है। मातृ–मृत्यु दर, कुपोषण, खून की कमी, बिमारी, बाल विवाह, लिंग अनुपात में कमी, महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने तथा शीघ्र सुधार कि आवश्यकता है परन्तु राज्य के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है की राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय बहुत ही कम है और महिलाओं के विकास के प्रति सरकार का ध्यान अपर्याप्त है।

राजस्थान में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख एजेंसी है जिसके द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, स्वावलम्बन योजना, सामूहिक विवाह हेतु अनुदान, राज्य महिला आयोग, भामाशाह योजना, जेण्डर संवेदनशील बजटिंग, किशोरी शक्ति योजना, चिराली योजना, वन—LVkW I sVj vkfnA bu कार्यक्रमों के लिये बजट का प्रावधान मुख्य शीर्ष "सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" में रखा जाता है।

वर्ष 2018–19 के लिये पारित राज्य के कुल बजट 212274.66 करोड़ रूपये में से महिला एवं बाल विकास के लिये 2325.3 करोड़ रूपये प्रस्तावित किये गये हैं जो कि राज्य के पूर्ण बजट का सिर्फ 1 ही है। पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में यह करीब 442.3 करोड़ 23.4 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2017–18 के लिये राज्य का कुल बजट 181753.9 करोड़ रखा गया था जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 1896.98 करोड़ रूपये आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1 था। वर्ष 2016–17 में महिलाओं के कल्याण के लिये आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1.02 थी, 2015–16 के बजट में राज्य के कुल खर्च का 1.2 भाग महिला कल्याण के लिये खर्च किया गया। इससे स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों से महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को लगातार घटाया जा रहा है।

नीचे दी गई सारणी में महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को दर्शाया गया है।

सारणी 1 राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट (राशि करोड़ में)

मद	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 वास्तविक व्यय	2017–18 बजट अनुमान			2017–18 संशोधित अनुमान			2018–19 बजट अनुमान		
	योग	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग
राजस्व व्यय											

2235 –02.103 महिला कल्याण	11.24	13.48	28.57	6.19	34.76	19.06	3	22.06	24.25	7.94	32.18
2235 –02–196 जिला स्तर की पंचायतों को सहायता – (02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु	36.26	79.86	240.28	9.51	249.8	209.79	7.1	216.89	243.61	4.25	24.86
2236 पोषण	1305.59	1420.8	858.47	645.06	1503.53	874.25	700.23	1574.48	1196.76	791.97	1988.74
राजस्व व्यय का योग	1353.09	1514.1	1127.32	660.76	1788.09	1103.1	710.33	1813.43	1464.62	804.16	2268.78
पूँजीगत व्यय											
4235 –103 महिला कल्याण	1.6	0.74	1.63	1.7	3.33	0.98	1.7	2.68	4.12	0.0003	4.12
4235 –789 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योंजना	–	–	–	0.3	0.3	–	–	–	–	0.0002	0.0002
4235 –796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	–	–	–	0.46	0.46	–	–	–	–	0.0002	0.0002
4236 पोषण	55.8	38.42	44.92	59.88	104.8	48.9	17.85	66.75	23.94	28.42	52.36
पूँजीगत व्यय का योग	57.4	39.16	46.55	62.34	108.89	49.88	19.55	69.43	28.06	28.42	56.4804
महायोग	1410.49	1553.3	1173.87	723.1	1896.98	1152.98	729.88	1882.86	1492.68	832.58	2325.26

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार वर्ष 2018–19 में महिला कल्याण के लिये आवंटित राशि को पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 2 करोड़ ही बढ़ाया गया है लेकिन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में यह लगभग 12 करोड़ घटाया गया है। क्योंकि इस मद में हर साल वास्तविक बजट संशोधित अनुमान से कम तथा संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम होता आ रहा है इसलिये इस वर्ष बढ़ाये गये बजट को संशोधित अनुमान में घटाये जाने की पूर्ण संभावना है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों के बजट को इस वर्ष के बजट अनुमान में 2 करोड़ से घटाया गया है। सारणी के अनुसार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पोषण के लिये हुयी है जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 414.26 करोड़ बढ़ाया गया है।

इस वर्ष चिराली योजना के लिए प्रावधान 1.5 करोड़ से बढ़ा कर 4.6 करोड़ कर दिया गया है। राजस्थान में 39 महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र हैं परन्तु हर वर्ष इनके लिए 1.5 करोड़ रूपये से भी कम (प्रति केंद्र) का बजट रखा जाता है। 2005 में पारित हुए घरेलु हिंसा से बचाव अधिनियम के लिए अभी तक कोई बजट नहीं रखा गया है और ना ही इस अधिनियम के तहत कोई सुरक्षा अफसर नियुक्त किये गये हैं। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को देखते हुये महिला सुरक्षा के लिये बजट का इतना कम होना दर्शाता है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में नही है जो काफी चिंताजनक बात है।

बजट घोषणाओं में 'चाइल्ड केयर लीव' की घोषणा की गयी है। इसमें महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल हेतु अधिकतम 2 वर्ष की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4730 रूपये के स्थान पर 6000 रूपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3365 रूपये के स्थान पर 4500 रूपये, सहायिका को 2565 के स्थान पर 3500 रूपये, साथिन को 2400 रूपये के स्थान पर 3500 रूपये एवं आशा सहयोगिनी को 1850 रूपये के स्थान पर 2500 रूपये प्रतिमाह का मानदेय देने की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी से 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित होंगी।

राज्य सरकार ने बजट में 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सेनेट्टरी पेड्स उपलब्ध करवाने की घोषणा की है जो कि विद्यालयों/महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप–स्वास्थ्य केन्द्र, अन्नपूर्णा भंडार द्वारा किया जायेगा। इसके लिए 76 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है तथा इसका क्रियान्वयन 4 विभागों – महिला अधिकारिता विभाग, आई.सी.डी.एस, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग, तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। हांलांकि देखा जाये तो लगभग 12 वर्ष की उम्र से किशोरावस्था शुरू हो जाती है परन्तु इस योजना में 12–15 आयु वर्ग की बालिकाओं को नहीं रखा गया है जिससे योजना का उद्देश्य पूरा होना मुश्किल होगा क्योंकि शुरूआती वर्षों में अनदेखी की वजह से अस्वास्थ्यकर तरीके अपनाने की आदत पड़ सकती है जिसे बदलना ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिये इस योजना के तहत 12–50 आयु वर्ग की बालिकाओं एवं महिलाओं को संभावित लाभार्थी रखना चाहिये था।

हांलांकि ग्रामीण महिलाओं के लिये बजट में 1 लाख नए माँ–बाड़ी केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गयी है परन्तु कृषि एवं संम्बन्धित क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के कल्याण के लिये बजट में कुछ नहीं कहा गया है जबकि राजस्थान में महिला जनसंख्या का एक बढ़ा हिस्सा इसमें शामिल है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में 'सेन्ट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई' की व्यवस्था करवाने की घोषणा की गई है जो कि पीपीपी मोड पर संचालित होगी और इस पर लगभग 18 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है। अब देखना यह है कि बजट की इन चुनावी घोषणाओं को सरकार कहाँ तक पूरा कर पाती है।

राजस्थान में जेण्डर बजट

जेण्डर संवेदी बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरकार के बजट एवं आयोजना प्रक्रिया को अधिक जेण्डर संवेदी बना कर समाज में महिला–पुरूष सामानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जेण्डर संवेदी बजट को जेण्डर बजट, महिला बजट, जेण्डर संवेदनशील बजट आदि नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा बजट में सरकार की प्रथमिकताएं तथा सरकारी खर्चों का महिलाओं, पुरूषों, लड़कियों एवं लड़कों पर प्रभाव देखा जा सकता है।

राजस्थान सरकार ने 2012–13 में पहली बार जेण्डर बजट विवरण जारी किया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार निम्न दी गयी सारणी में दर्शायी गयी श्रेणियाँ प्रदान की गई।

सारणी 2 राज्य के जेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को दिये जाने वाली श्रेणियाँ

श्रेणी	महिला लाभार्थियों का प्रतिशत
A	<70
B	70-30
C	30-10
D	<10

स्रोत – राज्य का जेण्डर बजट विवरण

परन्तु सारणी 2 में दर्शायी श्रेणियाँ कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के खर्च मद राजस्व एवं पूंजीगत को अलग–अलग दिया जाता है।

राज्य का जेण्डर बजट का विश्लेषण

इस वर्ष के जेण्डर बजट में बीते वर्ष की ही तरह फिर से बजट फाइनलिजेशन कमेटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2018–19 में राज्य के कुल बजट 212274.66 करोड़ में से जेण्डर बजट पेश करने वाली बी.एफ.सी का कुल बजट 194858.65 करोड़ है जो राज्य के कुल बजट का 91.8 प्रतिशत है। जेण्डर बजट विवरण के अनुसार राज्य के कुल बजट का केवल 28.74 प्रतिशत ही जेण्डर घटक के लिये प्रस्तावित किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम है तथा जेण्डर बजट पेश करती बी.एफ.सी के कुल बजट में जेण्डर घटक का 31.3 जो कि लगभग पिछले वर्ष के बराबर है। नीचे दी गयी सारणी में राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक दर्शाया गया है।

सारणी 3 राज्य के कुल बजट में जेण्डर बजट पेश करने वाली बी.एफ.सी का कुल बजट तथा जेण्डर घटक का प्रतिशत

वर्ष	राज्य का कुल बजट	राज्य के कुल बजट में जेण्डर बजट पेश करती बी.एफ.सी का कुल बजट	राज्य के कुल बजट में जेण्डर बजट पेश करती बी.एफ.सी के कुल बजट का	जेण्डर घटक	राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का	जेण्डर बजट पेश करती बी.एफ.सी के कुल बजट में जेण्डर घटक का
2012–13 बजट अनुमान	76675.22	71908.39	93.78	17554.11	22.89	24.41
2013–14 बजट अनुमान	94871.95	90250.64	95.13	23146.61	24.40	25.65
2014–15 बजट अनुमान	112955.06	107668.4	95.32	28310.26	25.06	26.29
2015–16 बजट अनुमान	137713.38	131565.12	95.54	38651.12	28.07	29.38
2016–17 बजट अनुमान	171260.99	155473.29	90.78	46940.94	27.41	30.19
2017–18 बजट अनुमान	181753.9	169293.17	93.14	52790.19	29.04	31.18
2018–19 बजट अनुमान	212274.66	194858.65	91.80	61003.93	28.74	31.31

स्रोत – राज्य के जेण्डर बजट विवरण 2012—19 dsvk/kkj ij

जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बी.एफ.सी वार दी गयी है जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है तथा उनके राजस्व व पूंजीगत खर्च में दी जाती है। जेण्डर बजट के विश्लेषण में एक बड़ी चुनौती यह भी है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे जेण्डर बजट विवरण में वास्तविक लेखे नहीं दिये जाते। अत महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उन पर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ भी समझना मुश्किल है।

सारणी 4 जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

साल	2017.18				2018.19			
श्रेणी	**राजस्व**		**पूंजीगत**		**राजस्व**		**पूंजीगत**	
1	118	14.3	9	2.5	109	12.04	8	1.97
2	457	55.3	268	75.07	547	60.4	307	75.62
3	197	23.8	77	21.5	190	21	86	21.18
4	53	6.4	3	0.8	59	6.52	5	1.23
कुल	**825**	**100**	**357**	**100**	**905**	**100**	**406**	**100**

स्रोत – राज्य का जेण्डर बजट विवरण 2017–18 एवं 2018–19

जेण्डर बजट विवरण के अनुसार हर वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी 'बी' श्रेणी में सबसे ज्यादा योजनायें/कार्यक्रम हैं। वर्ष 2018–19 में जेण्डर बजट के राजस्व खर्च में 'ए' एवं 'सी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 2 की कमी हुई है जबकी 'बी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 5 की बढ़ोत्तरी हुई है एवं 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कायक्रमों लगभग पिछले वर्ष के बराबर हैं। पूंजीगत खर्च में 'ए' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में की मामूली सी कमी हुई है जबकि बी एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों लगभग पिछले वर्ष के बराबर हैं। 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 0.4 की बढ़ोत्तरी हुयी है।

राज्य में महिलाओं के बजट के लिये कुछ माँगें

- राज्य में जेंडर बजटिंग का व्यवस्थित क्रियांवयन नहीं हो रहा है अत इसमें आवश्यक सुधार किये जायें।
- बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास हेतु सरकार एक नीति बनाकर लागू करे।
- वैश्यावृति छोड़कर इस कार्य से बाहर आने वाली महिलाओं के लिये व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाये तथा इनके बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाये।
- घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी लगाये जायें।
- कृषि एवं संम्बन्धित क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के कल्याण के लिये बजट में प्रावधान रखा जाये।

राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट

भारत में करीब 47.2 करोड़ आबादी 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की है, जो देश की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। लेकिन देश में सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर बच्चों की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो अधिकार एवं विकास की दृष्टि से हो या सुरक्षा एवं संरक्षण के लिहाज से। हालांकि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के करीब 193 देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन देश में आज भी एक तरफ बड़े पैमाने पर बच्चे बाल मजदूरी, बच्चों की तस्करी एवं विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हैं और दूसरी ओर बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नई **"राष्ट्रीय बाल नीति 2013"** अपनाई। हालांकि यह नीति बच्चों को राष्ट्रीय संपदा मानकर इनके अधिकारों पर ज़ोर देती है लेकिन देश में केन्द्रीय एवं राज्य बजट का आंकलन किया जाये तो इनके विकास एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है।

राजस्थान में भी करीब 2.99 करोड़ जनसंख्या (जनगणना 2011) 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है जो राज्य की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। वहीं अगर 0–6 आयुवर्ग के बच्चों की बात की जाये तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में करीब 15.5 प्रतिशत इस आयु वर्ग की है। राज्य में बच्चों की स्थिति काफी कमज़ोर है एवं राजस्थान की बालिका नीति–2013 के अनुसार राज्य में करीब 12.62 लाख (जनगणना 2001) बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। राज्य में करीब 22 प्रतिशत लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र से पूर्व हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियां भी राज्य में बेहद खराब है। राज्य में बच्चों को केन्द्रीत करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाये जा रहे हैं जो मुख्य रुप से बच्चों की शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण से संबंधित हैं। प्रस्तुत नोट में राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को प्राक्कलित किया गया है। जिसको मुख्य रुप से चार क्षेत्रों शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण आदि में विभक्त किया गया है। राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रीत कार्यक्रमों पर कुल बजट की तकरीबन 18 से 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है, पर विभिन्न वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है।

तालिका 1: राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण (राशि करोड़ रू. में)

मद / वर्ष	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित	2018–19 बजट अनुमान
शिक्षा	18614.06	22919.56	21509.39	20427.64	24537.18	25156.83	22969.23	26532.44	26597.80	32118.71
बाल संरक्षण	184.94	204.35	190.52	173.38	200.10	173.08	196.28	179.00	215.91	233.85

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2037.63	3047.80	2573.166	2462.31	2595.933	2316.63	2304.59	2053.53	2819.88	2792.16
विकास एवं पोषण	1977.81	2355.14	2275.51	1343.68	2376.53	2217.23	2152.39	2298.26	2337.44	3046.36
कुल बाल केन्द्रीत बजट	22814.44	28526.84	26548.54	24407.01	29709.75	29863.78	27622.49	31063.24	31971.03	38191.08
कुल राज्य बजट बिना उदय	116605.48	137713.39	137455.8	129736.02	151127.7	148506.69	139727.68	166753.90	175615.12	197274.66
राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत	19.57	20.71	19.31	18.81	19.66	20.11	19.76	18.63	18.20	19.35

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

उपरोक्त तालिका द्वारा ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष राज्य बजट का करीबन 19–20 प्रतिशत भाग बच्चों के विकास हेतु आवंटित किया जाता है। 2017–18 की तुलना में 2018–19 में बाल शिक्षा हेतु कुल आवंटित बजट में करीब 5586–27 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर बाल संरक्षण के बजट में करीब 54.85 करोड़ रू, विकास एवं पोषण में 748.1 करोड़ रु. और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट में 738.63 करोड़ रु. की राशि की बढ़ोतरी की गयी है। इस साल (2018–19) के बजट अनुमान के अनुसार कुल राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत गत साल 2017–18 में संशोधित बजट के मुकाबले कीहब 0.72 प्रतिशत बिंदु बढा है। लेकिन तालिका द्वारा यह भी देखा जा सकता है कि हर वर्ष वास्तविक खर्च, अनुमानि एवं संशोधित बजट की मुकाबले काफी कम रहता है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है की सरकार बजट को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पा रही है।

बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण : जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि बाल बजट का आंकलन करने के लिये राज्य में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 83 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। जबकि बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि स्वास्थ (परिवार कल्याण सहित) 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोष.ा पर आवंटन किया जाता है। अतः बाल केन्द्रीत बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मदों पर व्यय की जाती है।

इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल बाल बजट में बाल संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बजट आवंटन तुलनात्मक रुप से बहुत ही कम है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य एवं सरक्ष.ा संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन एवं इनको मज़बूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में बच्चों से संबंधित प्रमख मुद्देः

- राज्य में करीब 12.62 लाख बाल श्रमिक है जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। जबकि बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु बजट नहीं के बराबर है।
- राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। राज्य में करीब 36.8 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं साथ ही शिशु मृत्यु दर भी 41 (1000 जीवित जन्म पर) है जो राष्ट्रीय औसत 34 (1000 जीवित जन्म पर) से अधिक है (आर्थिक समीक्षा, 2017–18)।

- राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे **एनीमिया** से ग्रसित हैं। राज्य में करीब 69.7 प्रतिशत बच्चे **एनीमिया** से ग्रसित हैं।
- राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का अधिकांश हिस्सा शिक्षा एवं संबंधित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र (परिवार कल्याण सहित) पर करीब 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है।
- यदि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में से परिवार कल्याण के बजट को हटा दिया जाये तो यह भी 1 प्रतिशत से कम रह जाता है।
- राज्य में बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं में समंवित बाल संरक्षण योजना, बाल श्रमिक कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमश 17.1 एवं 12.5 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत बढकर क्रमश 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अत राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात आवंटित करना चाहिये।

उपयोजनाओं के लागू होने के 35–40 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यह स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 3–4 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एवं उत्तराखंड सरकारों द्वारा अपने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया है। राजस्थान में सरकार द्वारा वर्ष 2013 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन इसके बाद इस मसौदे को कानून रुप देने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

2017–18 के बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन का आधार समाप्त!

गौरतलब है कि गत वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2017–18 से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरुप राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बजट का योजना व गैर योजना वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन यथावत् रखा गया है। लेकिन राज्य बजट में यह देखना मुश्किल है कि कुल योजनांनर्गत बजट में दोनों उपयोजनाओं का आवंटन अनुपात कितना है। हम जानते हैं कि इन उपयोजनाओं का आधार आयोजना बजट है एवं सरकारों को अपने आयोजना बजट की आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में इन उपयोजनाओं के तहत राशि आवंटित करना होता है। अतः राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने बजट आवंटन को दर्शाने हेतु 21 एवं 21a स्टेटमेंट जारी करने चाहिये। इसके अलावा बड़े स्तर पर विमर्श तथा चर्चा के आधार पर दलित तथा आदिवासी समुदायों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिये रणनीति तैयार करनी चाहिये।

उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन की स्थिति

प्रस्तुत नोट में राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत गत 4–5 वर्षों में हुए आवंटन एवं व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका–राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति (राशि करोड़ रु. में)

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	जनजाति उपयोजना बजट
2014–15 बजट अनुमान	57115.26	4814.65 (8.43)	4150.45 (7.27)
2014–15 संशोधित	51511.92	4860.17 (9.44)	4420.92 (8.58)
2014–15 वास्तविक	44176.87	3887.15 (8.8)	3302.64 (7.48)
2015–16 बजट अनुमान	57322.77	5545.78 (9.67)	4626.75 (8.07)
2015–16 संशोधित	56288.89	5884.94 (10.45)	5434.18 (9.65)
2015–16 वास्तविक	50177.65	5540.98 (11.04)	4316.03 (8.60)
2016–17 बजट अनुमान	67339.97	6950.61 (10.32)	7314.94 (10.86)
2016–17 संशोधित	60497.15	7934.99 (13.12)	5638.53 (9.32)
2016–17 वास्तविक	54943.28	7542.54 (13.73)	5694.97 (10.37)
2017–18 बजट अनुमान	–	9245.51	7430.88
2017–18 संशोधित	–	9204.81	8008.48
2018–19 बजट अनुमान	–	12514.27	10633.75

स्त्रोत - बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

नोट– कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।

नोट– वर्ष 2017–18 से बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है इसलिये इस साल के बजट अनुमान में उपयोजनाओं का राज्य आयोजना बजट से प्रतिशत नहीं दिखाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 12514.27 करोड़ रु. आवंटित किये हैं। गत वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 9245.51 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया जिसको संशोधित बजट में कुछ कम करके 9204 करोड़ रु. कर दिया गया है। गत वर्ष 2016–17 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 6950.61 करोड़ रु. आवंटित किये थे, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.32 प्रतिशत था जिसको संशोधित बजट में कुछ बढ़ाकर 7934.99 करोड़ रु. कर दिया गया है, जबकि वास्तविक व्यय केवल 7542.5 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट करीब 5884.94 करोड़ रु. आवंटित किये थे जबकि

वास्तविक व्यय करीब 5540.98 करोड़ रु. रहा जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 11 प्रतिशत है।

इसी प्रकार इस वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 10633.75 करोड़ रु. आवंटित किये हैं जो गत वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट 7430.88 करोड़ रु. तथा संशोधित बजट 8008.48 करोड़ रु. से अधिक है। गत वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 7314.94 करोड़ रु. प्रस्तावित किये थे, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.8 प्रतिशत है एवं संशोधित बजट में इसको कुछ कम करके करीब 5638.53 करोड़ रु. कर दिया गया जबकि वास्तविक व्यय करीब 5694.97 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट लगभग 5434.18 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे जबकि वास्तविक व्यय करीब 4316.03 करोड़ रु. रहा, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 8.6 प्रतिशत है।

विगत 7–8 वर्षों के आंकड़ों पर अगर गोर किया जाये तो वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक दोनों उपयोजनाओं के आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान एवं 2016–17 के संशोधित अनुमान में राज्य के योजनांनर्गत बजट (उदय के अलावा) की तुलना में दोनों उपयोजनाओं के अनुपात में विगत वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी हुयी है। फिर भी राज्य में उपयोजनाओं का आवंटन अभी भी मानदंड की तुलना में काफी कम है। फलत राज्य के दलित एवं आदिवासी करोड़ों रु. की विकास योजनाओं से वंचित होंगें।

आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में अंतरः

इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि बजट पुस्तिका–4ब में राज्य सरकार द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस साल अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटन दलित एवं आदिवासी जनसंख्या के अनुरुप ही (करीब 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत) है। इस पुस्तिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2018–19 हेतु कुल योजनागत बजट करीब 107865.39 करोड़ रु. है जिसमें जनजाति उपयोजना हेतु करीब 14610.05 करोड़ रु. एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु करीब 19283.74 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। यह आंकड़ा आयोजना विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है जिसमें उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुसार ही दर्शाया जाता है। लेकिन वित्त विभाग की विस्तृत बजट पुस्तिकाओं को आधार मानकर उपयोजनाओं हेतु एवं इनके लिये निर्धारित उपशीर्षों (एससीएसपी–789 एवं टीएसपी–796) में दर्शाये गये बजट आंवटन को जोड़कर देखा जाये तो यह मानदंड से बहुत ही कम (तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार) पाया जाता है।

राज्य की पूर्व सरकार ने उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु एवं इनको कानूनी रुप देने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अभी तक राज्य में उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने हेतु तैयार किये गये मसौदे पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अत सरकार को राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट

आवंटन एवं व्यय को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शीघ्र ही कानूनी रुप देने हेतु कदम उठाने चाहिये। इसके अलावा राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने बजट आवंटन को दर्शाने हेतु अलग स्टेटमेंट जारी करने चाहिये। अत उपयोजनाओं के मुद्दे पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ आमजन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को इस मुद्दे पर गंभीरता से विमर्श करना चाहिये।

राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए बजट में मामूली बढ़ोतरी पर फिर रहा कुल बजट के एक प्रतिशत से कम

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) 6.85 करोड़ है, जिसमे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात् 78.18 लाख है, जिसमें मुस्लिम 62.15 (9.07 प्रतिशत) लाख, सिक्ख 8.73 लाख, जैन 6.22 लाख, इसाई 0.96 लाख एवं बौद्ध 0.12 लाख हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17.91 प्रतिशत मुस्लिम निवास करते हैं। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर आंकड़ों का अभाव है जिसके कारण यह पता करना कठिन होता है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी है। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है, 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते है कि मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर अन्य समस्त वर्गों की अपेक्षा कम है, मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्गों में 74.04 प्रतिशत है तथा महिलाओं की साक्षरता दर 62 प्रतिशत बनी हुई है हालाँकि 2011 की जनगणना से स्थितियों में सुधार हुआ है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं इसका बजट

अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता दर कम होने, बच्चों की जन्म मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होने, रोजगार के अवसर कम होने आदि कारणों से यह विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुये हैं, अतः इनके विकास एवं उत्थान के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य कराये जाने तथा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी) के लिये केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों से संबन्धित विभिन्न संस्थाएं जैसे राज्य हज कमेटी, वक्फ विभाग, मदरसा बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एवं राजस्थान वक्फ विभाग परिषद भी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

सारणी 1 राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट (करोड़ पये में)

वर्ष	कुल राज्य बजट	अल्पसंख्यक विभाग का बजट	प्रतिशत
2015–16 (बजट अनुमान)	137713.38	102.17	0.07
2015–16 (संशोधित अनुमान)	180420.42	109.62	0.06
2015–16 (वास्तविक व्यय)	169785.78	97.01	0.06
2016–17 (बजट अनुमान)	171260.99	155.47	0.09
2016–17 (संशोधित अनुमान)	170878.88	155.71	0.09
2016–17 (वास्तविक व्यय)	162099.88	143.51	0.089
2017–18 (बजट अनुमान)	181753.9	166.44	0.092
2017–18 (संशोधित अनुमान)	190615.12	154.15	0.081

राजस्थान बजट अध्ययन केन्द्र
(आस्था की एक इकाई)

बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर ट्रस्ट

2018–19 (बजट अनुमान)	212274.66	180.33	0.085

स्रेत - बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

सारणी–1 में दर्शाए हुए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018–19 के बजट में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट कुल बजट का मात्र 0.085 प्रतिशत है और इस विभाग के पास राज्य की लगभग 11.41 प्रतिशत आबादी को देखने की जिम्मेवारी है। पिछले वर्षों के बजट आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ष के बजट अनुमान में आवंटित धनराशि से वास्तविक खर्चा कम ही रहा है, 2015–16 के बजट अनुमान में कुल आवंटित धनराशि 102.17 करोड़ रूपये थी और वास्तविक व्यय 97.01 करोड़ रूपये रहा है। इसी प्रकार 2017–18 के बजट अनुमान में कुल आवंटित धनराशि 166.44 करोड़ रूपये रही और संशोधित अनुमान में 154. 15 करोड़ रूपये है।

सारणी–1 में पिछले चार वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में अनुपात दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है कि किसी भी वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग को आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत भी नहीं है।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि राज्य बजट के मुख्य शीर्ष 2225, 4225 तथा 6225 के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 04 से मुख्य शीर्ष 2202 के उपमुख्य शीर्ष 800 से एवं 2250 के उपमुख्य शीर्ष 102 से आवंटित की जाती है जिसका विवरण सारणी–2 में दिया गया है।

सारणी 2 अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि का विश्लेषण (राशि करोड़ में)

वर्ष	2202	2225	2250	4225	6225	महायोग
	सामान्य शिक्षा–मदरसा स्कूल / बोर्ड	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय	अन्य सामाजिक सेवाएँ –वक्फ ट्रिब्यूनल	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज	अल्पसंख्यकों का कल्याण का योग
2015–16 बजट अनुमान	65.76	16.40	0.50	16.48	3.00	102.17
2015–16 संशोधित अनुमान	44.30	13.47	0.60	48.60	2.65	109.62
2015–16 वास्तविक व्यय	44.37	13.97	0.59	35.43	2.65	97.01
2016–17 बजट अनुमान	68.25	19.55	0.60	64.07	3.00	155.47
2016–17 संशोधित अनुमान	68.25	19.50	0.69	65.72	1.55	155.71
2016–17 वास्तविक	68.25	18.80	0.66	55.80	0.00	143.51

व्यय						
2017–18 बजट अनुमान	75.25	28.17	0.74	60.73	1.55	166.44
2017–18 संशोधित अनुमान	70.25	23.48	0.74	58.13	1.55	154.15
2018–19 बजट अनुमान	82.28	28.78	0.93	66.80	1.55	180.33

स्त्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में विभाग के लिए पारित की गयी राशि में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में सिर्फ 13.89 करोड़ रूपये की ही बढ़ोतरी हुई है जो कि बेहद कम है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा मद तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय में की गयी है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में भी 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में सिर्फ 53.47 करोड़ की ही बढ़ोतरी हुयी थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय आवंटित पुंजीगत परिव्यय के आयोजना मद में की गयी थी। 2015–16 तथा 2016–17 के बजट को देखने से मालूम चलता है कि मुख्य शीर्ष 2225 में आवंटित बजट में आयोजना भिन्न व्यय की तुलना में आयोजना व्यय कम है जिससे यह मालूम होता है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि में प्रशासनिक खर्चों का अनुपात कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की तुलना में ज्यादा है। पिछले वर्षों के वास्तविक खर्चों को देखने से ज्ञात होता है कि वास्तविक खर्च बजट अनुमान में दी गयी राशि से कम हुआ है, जिसके कारण योजनाओं पर व्यय बजट अनुमान में किये गये प्रावधानों से कम हो जाता है।

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) के बजट पर नजर डालें तो हमें यह पता चलेगा कि वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय की तुलना में 2017–18 के बजट अनुमान में आठ गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस बजट का कितना हिस्सा लाभार्थियों तक पहुँच पा रहा है यह एक अध्ययन का विषय है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति में पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान व संशोधित बजट में यह राशि मात्र 15 लाख रही, जिसको इस वर्ष 2018–19 के बजट में बढ़ाकर 17 लाख किया गया है, इस योजना के लिए यह राशि कम है।

सारणी 3, राजस्थान में अल्पसंख्यको से जुड़ी योजनायें तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

योजनायें	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)	56.49	56.49	62.13
मदरसा स्कूल	73.35	68.35	80.19
मदरसा बोर्ड	1.90	1.90	2.09
अल्पसंख्यक श्रेणी के बालक एवं बालिकाओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	45.21	45.21	45.21
अल्पसंख्यक छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृति	0.08	0.08	0.09
अल्पसंख्यक छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	0.15	0.15	0.17

अल्पसंख्यकों के अभ्यर्थियों के लिए अनुप्रति योजना	0.30	0.04	0.30
अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	6.63	3.13	5.84
अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों का संचालन	2.86	2.09	2.39
अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) की स्थापना	24.36	22.49	16.92

स्रोत - बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

2018–19 के बजट अनुमान में अनुप्रति योजना तथा अल्पसंख्यक श्रेणी के बालक एवं बालिकाओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति में आवंटित धनराशि पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के ही समान है। अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन के बजट आवंटन में इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में कटौती की गयी है, यह राशि 2017–18 में 6.63 करोड़ रूपये थी जो इस बार घटाकर 5.84 करोड़ रूपये कर दी गयी है इसके साथ ही अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों के संचालन के बजट में भी इस वर्ष कटौती की गयी है।

इसके आलावा सरकार राज्य में मदरसा स्कूल, मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आईटीआई के लिए भी बजट आवंटित करती है। वर्ष 2018–19 के बजट में मदरसा स्कूल तथा मदरसा बोर्ड के बजट में बढ़ोतरी की गयी है। 2018–19 में मदरसा स्कूल के लिए 80.19 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया जो कि पिछले वर्ष 2017–18 में 75.35 करोड़ रूपये था। मदरसा बोर्ड के बजट को भी पिछले वर्ष के बजट 1.90 करोड़ रूपये से बढ़ाते हुए इस वर्ष 2.09 करोड़ रूपये किया गया है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नवीन औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) की स्थापना पर भारी कटौती करते हुए 2017–18 के बजट में आवंटित धनराशि 24.36 करोड़ से घटाकर 2018–19 के बजट आवंटन में 16.92 करोड़ कर दिया गया है।

हालाँकि इस वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट में बढ़ोतरी देखी गयी है परन्तु 2016–17 के लेखें में आयी कमी को देखकर कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवंटित राशि को ठीक से खर्च नहीं किया गया है। अत हम यह आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि अधिक प्रभावशाली ढ़ग से खर्च की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। सरकारी योजनाओं की घोषणा एवं उनका बजट आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। अलग–अलग अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि इस समुदायों के लोगों को उनके लिए क्रियान्वित सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है जिसके कारण वह इन योजनाओं के लाभ से अभी तक वंचित हैं। जरुरी है कि सरल एवं संक्षिप्त आवेदन प्रक्रिया के द्वारा राज्य के इन समुदायों के लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए एवं उचित समय पर लोगो को इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए ताकि सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

राज्य में पेंशन योजनाओं हेतु बजट में मामूली बढ़ोतरी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने बेसहारा, वृद्धजन, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्थ नागरिकों के लिए सहायता उपलब्ध कराए। इन सिद्धान्तों के अनुसार भारत साकार ने सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को आरम्भ किया। इसी प्रकार, राजस्थान में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों एवं निशक्तजनों के कल्याण के लिये कई कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इनमें पेंशन योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयीं हैं। वर्ष 2018-19 के बजट में 2017-18 dh ghrjgk ifrekg isa'ku nj ykxwdh जायेगी- o) tu lEeku isa'ku dsvarxZr 55 o"kZ lsT;knk mezokyh efgykvksadks, वं 58 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुरूषों को 500 रूपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले महिलाओं एवं पुरषों को 750 रूपये प्रतिमाह की पेंशन राशी प्राप्त होगी, विधवा/एकल महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 60 के बिच है, उनको 500 रूपये प्रतिमाह, जिनकी उम्र 60 से 75 के बीच है, उनको 1000 रूपये प्रतिमाह तथा जिनकी उम्र 75 से अधिक है, उनको 1500 रूपये प्रतिमाह की पेंशन राशि प्राप्त होगी, तथा राज्य के विशेष योग्यजनों को 750 रूपये प्रतिमाह की पेंशन राशी प्राप्त होगी।

पेंशन योजनाओं की राशि राज्य बजट में मुख्य शीर्ष '2235—सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के अंतर्गत आवंटित की जाती है तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2018—19 के लिये पारित हुये राज्य बजट में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 4137.41 करोड़ की राशि आवंटित की है जो कि राज्य के कुल बजट का लगभग 2 प्रतिशत है तथा वर्ष 2017—18 के बजट अनुमान में आंवटित राशि से 144.07 करोड़ रूपये ज्यादा है तथा इसी वर्ष के संशोधित अनुमान से केवल 29.15 करोड़ रूपये ही ज्यादा है। पिछले पाँच वर्षों में पेंशन योजनाओं में आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है

सारणी 1 पेंशन योजनाओं पर व्यय (राशि करोड़ में)

शीर्ष	लेखा शीर्ष	2014—15 लेखे	2015—16 लेखे	2016—17 लेखे	2017—18 बजट अनुमान	2017—18 संशोधित अनुमान	2018—19 बजट अनुमान
2235—196—(02)	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	2776.9	2683.25	2961.5	3030	2953.67	2965.34
2235—196—(01)—[05]08]11]	इंदिरा गांधी राष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन	227.48	202.18	212.67	241.99	251.44	264.01
	वृद्धावस्था पेंशन का योग	**3004.38**	**2885.43**	**3174.17**	**3271.99**	**3205.11**	**3229.35**
2235—196—(03)	मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना)	409.5	418.56	436.24	447	545.65	546.94

2235–196–(01)–[06]09]12]	**इंदिर I गांधी विधवा पेंशन**	39.4	37.11	39.6	46.45	56.33	58.91
	विधवा पेंशन का योग	**448.9**	**455.67**	**475.84**	**493.45**	**601.98**	**605.85**
2235–196–(04)	**मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना**	205.5	204.04	211.96	218	292.24	292.84
2235–196–(01)–[07]10]13]	**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन**	7.2	6.69	7.18	9.9	8.93	9.37
	विशेष योग्यजन पेंशन का योग	**212.7**	**210.73**	**219.14**	**227.9**	**301.17**	**302.21**
महायोग		**3665.98**	**3551.83**	**3869.15**	**3993.34**	**4108.26**	**4137.41**

स्रोत - बार्क द्वारा बजट 2013–14, 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के विश्लेषण पर आधारित

वर्ष 2015–16 के लेखे में पेंशन योजनाओं में 2014–15 के लेखे की तुलना में लगभग 114 करोड़ रूपये की कमी देखी गयी परन्तु उसके बाद हर वर्ष पेंशन के बजट में बढ़ोतरी हुयी है। वर्ष 2017–18 के बजट एवं संशोधित अनुमानों को देखकर पता चलता है कि वृद्धजनों के लिये पेंशन को बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में लगभग 67 करोड़ रूपये से घटा दिया गया है जबकी एकल महिलाओं तथा विशेष योग्यजनों के लिये पेंशन को लगभग 100–100 करोड़ रूपयसे बढ़ाया गया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को गत वर्ष के संशोधित अनुमान में दी गयी राशि के लगभग बराबर ही रखा गया है। इस वर्ष वृद्धावस्था पेंशन के लिये कुल 2965.34 करोड़ विधवा पेंशन के लिये कुल 546.94 करोड़ तथा विशेष योग्यजन पेंशन हेतू कुल 292.84 करोड़ की राशि व्यय हेतु रखी गई है।

पेंशन लाभार्थी

वर्ष 2013–14 में राज्य की वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पात्रता हेतु लाभार्थियों के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त के समाप्त होने के बाद तथा पेंशन योजनाओं के विस्तार के लिये 20 अप्रेल से 15 जून 2013 तक लगाये गये पेंशन शिविरों के कारण पेंशन लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी। नीचे दी गयी सारणी में 2013 से अभी तक तीनों तरह की पेंशन के लाभार्थियों की संख्या को दिखाया गया है।

सारणी 2 उक्त पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या (लाख में)

	वृद्धावस्था पेन्शन	विधवा पेन्शन	निशक्त पेन्शन	कुल
31 मार्च 2013	8.71	4.04	1.64	14.40
15 जून 2013	–	–	–	40.43
31 मार्च 2014	45.91	7.66	3.57	57.15
19 मार्च 2015	46.6	7.6	3.6	57.8
21 मार्च 2016	46.6	7.7	3.6	57.9
17 फरवरी 2018	49.34	9.96	4.15	63.45

जैसा की पहले बताया गया है, पेंशन योजनाओं में विस्तार के लिए किये गये प्रयासों के चलते लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेबसाइट पर मौजूद लाभार्थियों की संख्या पर दस्तावेज़ (सारणी 2) से ज्ञात होता है कि कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या 31 मार्च 2013 को 14.40 लाख से बढकर 15 जून 2013 को 40.43 लाख हो गयी, मार्च 2014 में यह संख्या बढ़कर 57.1 लाख हो गयी है, परन्तु मार्च 2015 में लाभार्थियों की संख्या में केवल 65 हज़ार तथा मार्च 2016 में केवल 10 हज़ार की बढ़ोतरी हुयी है। फरवरी 2018 में लाभार्थियों की संख्या 63.45 लाख हो गयी है।

उपरोक्त पेंशन योजनाओं के बजट में सरकार ने पिछले वर्ष के संशेधित अनुमान की तुलना में मामूली सी वृद्धि ही की है परन्तु क्योंकि इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से खर्च की जा रही राशि समाज के एक कमजोर तबके के लिये अत्यंत आवश्यक है इसलिये हमें आशा है कि सरकार आगामी वर्षों मे इन पेंशन योजनाओं को और मजबूती से लागू करने के प्रयास करेगी तथा हर तबके के लिये पेंशन दर को बढ़ाने पर भी विचार करेगी।